



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023—फाल्गुन 26, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 (ए)-111-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल को दिनांक 24 फरवरी 2023 का एक दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र.- एफ 1 (ए)-28-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (जोन-1), नगरीय पुलिस, जिला-भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हंसराज सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस जिला-भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (जोन-1), नगरीय पुलिस, जिला-भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 (ए)-04-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस, जिला-इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम पार्ट वर्ष में दिनांक 23 से 24 जनवरी 2023 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर जयपुर (राजस्थान) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------|
| 1. | श्री निमिष अग्रवाल | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती कनिका | — | पत्नी |
| 3. | कु. आरना | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस जिला-इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 (ए)-31-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अ. अ. वि.), पु. मु., भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2022 तक, छह दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. 919869-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 6 से 17 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4-5 व 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में टर्की की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर सेल, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2023

क्र.- एफ 1 (ए)-84-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त, (अपराध व मुख्यालय), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.- एफ 1 (ए)-121-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वर्ड करते हुए) दिनांक 13 से 24 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 25-26 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत वाया पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आईसलैण्ड की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश

नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | | |
|----|-------------------------|---|-------|
| 1. | श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती संगीता त्रिपाठी | — | पति |
| 3. | श्री मिहिर प्रकाश | — | पुत्र |
| 4. | श्री आदित्य प्रकाश | — | पुत्र |

(2) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चन्द्रशेखर कौशिक, रापुसे, उप सेनानी, प्रथम वाहिनी, विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.- एफ 1 (ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 25 दिसम्बर 2022 तक, सोलह दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बत्तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2023

यूडीएच-3-0049-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत शाजापुर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-50-2004-बत्तीस, दिनांक 9 जून 2004 को निरस्त करते हुए, शाजापुर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है, यह समिति अधिनियम की धारा 17-क-(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिक परिषद्, शाजापुर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, शाजापुर	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, शाजापुर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, शाजापुर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, बज्जाहेड़ा (मुरादपुरा)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, कांज्या (कांज्या)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरवाल (बरवाल)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, सांपखेड़ा (सांपखेड़ा, मुलीखेड़ा, गोल्याखेड़ा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, गिरवर (गिरवर)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, टांडा बोर्डी (बोर्डी)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, दिल्लोद (लौंदिया, बायडा)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला शाजापुर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शाजापुर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शाजापुर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शाजापुर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	काउंसिल आफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास-शाजापुर.	समिति संयोजक

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0044/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 4458 / टीसी / 135 / श्योपुर / उपां / नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 01/11/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ढेंगदा तहसील एवं श्योपुर जिला	150/1	1.7770	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		150/2	2.0900	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		150/4	2.0900	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 5.9570 हेक्टेयर		

शर्तें

1. भूमि के पूर्व दिशा में स्थित बायपास मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
3. उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2023

क्रमांक-यूडीएच-3/0050/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5109 / टीसी / 136 / खुरई-सागर / उपां / नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 07/12/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खुरई विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम जगदीशपुरा तहसील खुरई जिला सागर	49	7.130	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
2		52	0.930	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
3		57/2	13.710	कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 21.770 हेक्टेयर		

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में अवस्थित खुरई-दानखेड़ी-घोरट मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
2. स्थल के पास अवस्थित जलाशय, नाला के किनारों से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर तथा प्रश्नाधीन भूमि से लगकर धार्मिक सीलों, मरघट एवं विद्युत सब स्टेशन की भूमि को यथास्थिति सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी
5. उपरोक्त उपांतरण खुरई विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र.- एफ-5-2-2022-उत्तीस-2-FCS.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 30 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधक आयोग में अध्यक्ष के पद हेतु आदेश जारी किये गये थे. उक्त आदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 42 की उपधारा 3(ख) के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2(क)'' पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

File No. AGR-11-0035-2023-Sec-2-चौदह-(AGR) (191587)-167.—कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर में पदस्थ सहायक संचालक, कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (ई) में यथा समावेशित समस्त कीटनाशियों के विश्लेषण हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए कीटनाशक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करता है.

File No. AGR-11-0035-2023-Sec-2-XIV-(AGR) (191587)-167.—In exercise of the power conferred under section 19 of the Insecticides Act, 1968, the Government of Madhya Pradesh hereby appoints The Assistant Director of Agriculture along with Senior Agriculture Development Officers of Pesticide Testing Laboratory, Jabalpur as Insecticide Analyst for whole of the state of Madhya Pradesh in respect of all the Insecticide as defined under section 3(e) of the said act.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

File No. AGR-1-0012-2023-FERTI-FWAD-(Com. No. 192573).—उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश, 1985 के खण्ड 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) अंकित, अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दर्शाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी, उर्वरक नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए, भेजने के लिए, अभिरक्षक अधिकारी नियुक्त करती है :—

अनु. क्र.	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अपना-अपना संभाग

File No. AGR-1-0012-2023-FERTI-FWAD-(Com. No. 192573).—In exercise of the powers conferred by clause 28A of the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 and in suppression of all previous Notification issued in this behalf, the State Government hereby appoints the following officers as a Custodian officer for keeping the sample in its custody and for sending the second part for analysis to National Test House and the third part for referee analysis :—

S. No.	Post Name of Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Divisional Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development	Respective Division

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

क्र. वलि.-1-2022-3074.—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ-19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019-एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 में दिये गये प्रावधानान्तर्गत जिलास्तरीय समिति की सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय सोण्डवा, जिला अलीराजपुर का नामकरण माँ नर्मदा शासकीय महाविद्यालय, सोण्डवा, जिला अलीराजपुर किया जाता है।

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 2 मार्च 2023

क्र. 2031-एस. सी.-2-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हर्ष दीक्षित, कलेक्टर, जिला राजगढ़, एतद्वारा, वर्ष 2023 में राजगढ़ जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	दिनांक	दिन (वार)	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10-03-2023	शुक्रवार	उर्स बाबा बदखशानी (दोपहर पश्चात आधे दिवस का स्थानीय अवकाश)
2	23-10-2023	सोमवार	महानवमी
3	14-11-2023	मंगलवार	गोवर्धन पूजन

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र. 152-सा.-2-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिलास्तरीय समिति में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप शासकीय महाविद्यालय, बागली एवं शासकीय महाविद्यालय सतवास का नामकरण “श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय, बागली एवं श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय, सतवास” के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.-सामान्य-1-2023-276.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं।

जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न विद्यालयों का नामकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

क्र.	वर्तमान नाम	नामकरण
(1)	(2)	(3)
1	शारदा शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि., शुजालपुर	माँ शारदा सी. एम. राईज उ. मा. वि., शुजालपुर
2	शासकीय उ. मा. वि., अकोदिया	महाराणा प्रताप सी. एम. राईज उ. मा. वि., अकोदिया
3	शासकीय उ. मा. वि., गुलाना	डॉ. भीमराव अम्बेडकर सी. एम. राईज उ. मा. वि., गुलाना
4	शासकीय उ. मा. वि., पोचानेर	राजा भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि., पोचानेर
5	शासकीय उ. मा. वि., बेरछादातार	श्री नरेन्द्र सिंह बैस स्मृति उ. मा. वि., बेरछादातार
6	शासकीय उ. मा. वि., सुन्दरसी	मिहिर भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि., सुन्दरसी
7	शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि., शाजापुर क्रमांक 02	सरदार वल्लभ भाई पटेल सी. एम. राईज उ. मा. वि., शाजापुर
8	शासकीय उ. मा. वि., लाहोरी	जे. पी. मण्डलोई स्मृति उ. मा. वि., लाहोरी
9	शासकीय एकीकृत मा. वि. रोंसला	शहीद राजेन्द्र सेन स्मृति मा. वि. रोंसला
10	शासकीय बालक उमावि, शुजालपुर नगर	स्वतंत्र वीर सावरकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुजालपुर नगर.

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालयों का नाम पढ़ा / लिखा जावे.

शाजापुर, दिनांक 6 मार्च 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र.-सामान्य-1-2023-280.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004, संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 से जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय मक्सी का नामकरण “स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय, मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर” का नामकरण “श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर” किये जाने के निर्णय उपरांत अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर टंकित हो गया है. अतः अधिसूचना क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए “श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर पढ़ा/लिखा जावे.

संशोधित कार्यवाही विवरण

क्र.-सामान्य-1-2023-281.—जिला शाजापुर के शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर का नामकरण श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर” किये जाने के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही विवरण क्रमांक 273, दिनांक 28 फरवरी 2023 में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर टंकित हो गया है.

अतः संदर्भित कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए “श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर पढ़ा/लिखा जावे. कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे.

दिनेश जैन, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्र.-45अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-10358.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा उल्दन पटवारी हल्का नंबर-17 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-45अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर 2020 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/प्रभावित कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि एवं राजस्व अभिलेख अद्यतन करने के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.-03अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-1835.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सलैया खुर्द पटवारी हल्का नंबर-08 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03अ-82-18-19-में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 20 फरवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम खोदरी, पटवारी हल्का नं. 33, तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 5.089 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के विन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	33	खोदरी	5.089	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	खकनार	खोदरी	5.089	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

बुरहानपुर, दिनांक 22 फरवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम रत्नापुर, पटवारी हल्का नं. 44, तह. नेपालगर की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 6.688 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	नेपालगर	44	रत्नापुर	6.688	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	रत्नापुर	6.688	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेलवे, अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेलवे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 मार्च 2023

प्र. क्र. 30-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सुनहरा	निजी भूमि रकबा 4.7807 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.3837 हे. कुल रकबा 5.1644 हे.	उप मुख्य अभियंता/नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे, सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 फरवरी 2023

पत्र क्र.-88-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमिलिहा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-90-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पनिगवां	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-92-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	रमपुरा	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-94-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	डाढ़	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-96-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	वरयां टोला	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-98-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	शिवपुरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-100-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	हिनौती	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-102-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	धर्मनगरी	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-104-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	हटवा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-106-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	जगदर	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-108-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	तमरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-110-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	अहिरगांव	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-112-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	धर्मपुरा 2	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-114-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रमपुरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-116-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर- कर्चुलिया	कोठी	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-118-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	डिहुली	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-120-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	तमरा देश	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-122-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उपडौरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-124-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमवा 1	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र.-126-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	जरहा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-128-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमवा 5	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-130-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	खुरहा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-132-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया 2	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-134-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया 1	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-136-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	छिरहाई	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-138-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सिरसा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-140-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	डिघवार	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई बॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-142-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	झलवार	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	बटरफ्लाई बॉल्व निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-144-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	उमरी	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-146-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	सूजी	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

पत्र क्र.-148-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	रजिगवां	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-54अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-1675

सागर, दिनांक 23 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियों प्राप्त नहीं हुई है तथा संमुचित सरकार का यह समझान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

- | | | |
|-----------------------------|----|------------------|
| 1. जिला | :: | सागर |
| 2. तहसील | :: | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | मुड़िया गुसाई |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 61 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 7165.26 वर्गमीटर |

:: अनुसूची - 01 ::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	अभिलेखा नुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थायी/अस्थायी)
				झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	संतोष पिता बृजपुरी (पत्नि कांतिबाई)	मकान कच्चा दीवारें पत्थर खपरेल शौचालय पक्का सीमेंट सीट	72.71 1.44	सोनूपुरी पिता बृजपुरी (अविवाहित)	स्थायी निवास
				कुलयोग	74.15		
2	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	अनिलपुरी पिता जनकपुरी	मकान दीवार पत्थर की छत टिनशेड	78.50		स्थायी निवास
				कुलयोग	78.50		

3	शासकीय आबादी (गौवठान)	126	नवदापुरी पिता जनकपुरी	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	33.18	जनकपुरी पिता नथूपुरी	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट	33.18	सचिनपुरी पिता जनकपुरी	
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत टीन सेट फर्श पक्का	8.85	अमितपुरी पिता जनकपुरी	
				उपरी मंजिल दीवार ईट	8.85	शिवमपुरी पिता जनकपुरी	
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पत्थर	24.94		
कुलयोग :-				108.99			
4	शासकीय आबादी (गौवठान)	126	मंगलसींग पिता फूलसींग लोधी	दीवार पत्थर की सीमेंट सीट	37.12	दरयाव सींग पिता मंगलसींग (पत्नि कपूरीबाई)	स्थायी निवास
				सिंगल दीवार ईट की छत फर्शी	14.58	शंकर सींग पिता मंगलसींग (पत्नि महन्तीबाई)	
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का	37.24	मुलायम सींग पिता शंकरसींग (अविवाहित)	
				उपरी मंजिल दीवार ईट	37.24		
				दहलान सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	26.46		
कुलयोग :-				152.64			
5	शासकीय आबादी (गौवठान)	126	प्रेमसींग पिता रंधीरसींग (पत्नि मणीबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	28.60	आशीष पिता प्रेमसींग (पत्नि प्रीति)	स्थायी निवास
				ऊपर की मंजिल छत खपरैल	28.60	राजेन्द्र पिता प्रेमसींग (पत्नि सवित्री)	
				डबल मंजिल दीवार ईट की लेंटर छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	11.10		
				उपरी मंजिल	11.10		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत फर्शी गाटर लेंटर	7.20		
				उपरी मंजिल	7.20		
				जीना	2.98		
				छज्जा पक्का आर.सी.सी.	6.48		
				शोचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
कुलयोग :-				104.70			

6	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	गुलाब सींग पिता रंघीर सींग (पत्नि संजली बहु)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	46.87	रामरतिबाई पति रंघीर सिंह	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	46.87		
				दहलान सिंगल दीवार पत्थर की फर्शी गाटर	31.61		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	9.38		
				उपरी मंजिल	9.38		
				जीना पत्थर का	1.89		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	147.44		
7	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	वीरसींग पिता घनश्याम	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	15.60	गब्बरसिंह पिता वीरसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	15.60		
				मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	25.22		
				कुलयोग :-	56.42		
8	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	भगवानसींग पिता घनश्याम (पत्नि नन्हीबहु)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरा +जोंक	28.81		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	28.81		
				नहानी दीवार ईट की छत नहीं	4.00		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर फर्श पक्का	18.00		
				कुलयोग :-	79.62		
9	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	द्रोपतीबाई बेबा गंगासींग	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर	16.25		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर	16.25		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर	15.27		
				उपरी मंजिल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर	15.27		
				कुलयोग :-	63.04		
10	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	मिहरवान पिता महाराजसींग (पत्नि गिरजाबाई)	दहलान सिंगल दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	9.00	महाराज सिंह पिता नत्थूसिंह	स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	37.40		
				उपरी मंजिल	37.40		
				कुलयोग :-	83.80		

11	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	शकरसिंग पितामहाराजसिंग (पत्नि मीराबाई)	दहलान सिंगल दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर	23.52		स्थायी निवास
				खंडर दीवार पत्थर की छत खपरेल	17.14		
				डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा	38.76		
				उपरी मंजिल	38.76		
				डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा	31.15		
				उपरी मंजिल	31.15		
				कमरा सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी	25.23		
				जीना पत्थर का	2.97		
				जीना पत्थर का	1.38		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	211.50		
12	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	रूपसिंह पिता महाराजसिंग (पत्नि मीराबाई)	डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत सीमेंट सीट	27.79	शारदा बेवा जगभान सिंह	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	27.79		
				तीन मंजिला दीवार पत्थर की दो बार पटमा छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा	26.60		
				बीच की मंजिल नीचे पटमा छत पटमा	26.60		
				उपरी मंजिल छत फर्शी गाटर	26.60		
				डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत फर्शी गाटर	6.96		
				उपरी मंजिल फर्शी गाटर	6.96		
				डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत टीनसेट	9.00		
				उपरी मंजिल टीनसेट	9.00		
				कुलयोग :-	167.30		
13	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	अमरसिंग पिता नत्थूसिंग (पत्नि पार्वतीबाई)	भूसा घर दीवार ईट की छत टीनशैड	34.16		स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल	42.57		
				उपरी मंजिल	42.57		
				जीना पत्थर का	2.88		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	123.62		
14	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	नत्थूसिंग पिता गनेश सिंह (पत्नि रामवति)	लकड़ी की थुनिया छत टीन सेट	35.51		स्थायी निवास
				कुलयोग :-	35.51		

15	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	कुंजनसींग पिता नत्थूसींग (पत्नि सावित्री बाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लेंटर छत गाटर फर्शी	43.20	नीतूसींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित) पुष्पेन्द्र सींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	43.20		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	7.00		
				उपरी मंजिल	7.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लेंटर गाटर फर्शी	26.35		
				जीना पत्थर का उपर वाला	1.73		
				जीना पत्थर का नीचे वाला	4.56		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	134.48		
16	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	दुरगसींग पिता कुन्दसींग (पत्नि सुषमा)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	22.62		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	22.62		
				कुलयोग :-	45.24		
17	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	मकुन्द सींग पिता जालमसींग (पत्नि श्रीबाई) कोमल सिंह पिता मकुन्द	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पत्थर छत गाटर फर्शी	23.40		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	23.40		
				जीना पत्थर का	3.54		
				कुलयोग :-	50.34		
18	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	राजेश पिता करनसींग (पत्नि गोराबाई)	मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	17.50		स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल	26.10		
				जीना पत्थर का	1.87		
				कुलयोग :-	45.47		
19	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	लीलावती पिता जालमसींग	मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल	76.14		अस्थायी निवास
				कुलयोग :-	76.14		
20	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	रगवीर सींग पिता उमराव सींग (पत्नि हल्की बहू)	(यह भाग में तुलसीराम का हिस्सा है।)डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	32.80	रोशन सिंह पिता रघुवीर सिंह (पत्नि संगीता)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	32.80		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	15.93		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत टीन सेट	7.32		
				उपरी मंजिल	7.32		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	16.56		
				गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती	15.84		
				जीना पत्थर का	1.82		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	131.83		

21	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	तुलसीराम पिता उमराव (पत्नि मझली बहू)	गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती	32.20	राजेन्द्र सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि गोरा बाई)	स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल+बरसाती	28.80	चरन सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि रामवती)	
				मकान सिंगल दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	32.00	चन्द्रभान सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि शारदा बाई)	
				शौचालय	1.44	ब्रजेश सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि नोनाबाई)	
				कुलयोग :-	94.44		
22	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	नारानसींग पिता उमराव सींग (पत्नि राजबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल (मात्र नीचे की मंजिल)	57.62	शेवराज पिता नारानसींग (पत्नि सुधाबाई)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल (यह भाग में तुलसीराम और प्रताप सींग का हिस्सा है।)	57.62		
				गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती	11.76		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत टीनसेट	20.46		
				जीना पत्थर का	1.68		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	150.58		
23	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	प्रतापसींग पिता उमराव (पत्नि जनकरानी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल	48.80	इन्द्र राज पिता प्रताप (पत्नि अहिल्याबाई)	स्थायी निवास
				झोपडी दीवार लकड़ी की छत पन्नी	13.20		
				कुलयोग :-	62.00		
24	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	विन्द्रावन पिता कनई सेन	खंडर पत्थर की गिरी दीवार	109.34		निवास हेतु उपयोग नहीं
				शौचालय पक्का	1.44		
				कुलयोग :-	110.78		
25	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	सोनाबाई बेबा सरदारसींग	मकान सिंगल दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.40	राजा सिंह पिता सरदार सिंह (पत्नि गायत्री)	स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	84.36	गोविन्द्र पिता सरदार सिंह (पत्नि लक्ष्मीबाई)	
				गौशाला एवं भूसाघर दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	39.20		
				कुलयोग :-	140.96		

26	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	रामविन्द पिता भगवानसींग (पत्नि नेहा)	मकान सिंगल ईट का छत सीमेंट सीट फर्श आधा पक्का आधा कच्चा	66.64		स्थायी निवास
				कुलयोग :-	66.64		
27	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	द्रोपती बाई बेवा गंगासींग	मकान दीवार पत्थर की छत बरसाती	16.83		अस्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल	46.74		
				कुलयोग :-	63.57		
28	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	प्रेमसींग पिता रंधीरसींग	भूसा घर दीवार ईट पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	38.54		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	38.54		
29	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	मनवाबाई बेवा कल्याणसींग	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	34.23	राजकुमार पिता कल्याण (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	34.23		
				डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में लकड़ी छत टीनसेट	12.60		
				उपरी मंजिल टीनसेट	12.60		
				मंदिर श्री शंकर जी का पक्का	4.00		
				गौशाला लकड़ी छत बरसाती	14.40		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर लैटर छत फर्शी गाटर	13.39		
				कुलयोग :-	125.45		
30	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	बालीराम पिता खुमानसिंह	झोपड़ी दीवार लकड़ी की छत बरसाती	28.80		स्थायी निवास
				कुलयोग :-	28.80		
31	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	भरत सींग पिता भुजबल सींग लोधी (पत्नि रूकमणि)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.20	रविन्द्र पिता भरतसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत लैटर फर्शी गाटर फर्श पक्का	22.05	भूपेन्द्र पिता भरतसिंह (पत्नि ललिता)	
				सिंगल दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	20.16	गोरीबाई बेवा भुजबल	
				शौचालय	1.44		
				जीना पत्थर सीमेंट सीट	3.08		
				कुलयोग :-	89.93		

32	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	द्रोपतीबाई बेबा चौदे	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	32.22	लक्ष्मण पिता चौदे (पत्नि कौशल्या)	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	30.40	झगड़ू पिता चौदे (पत्नि ललिता)	
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	11.66		
				कुलयोग :-	74.28		
33	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	पप्पू पिता दलू अहिरवार (पत्नि रामबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.29		स्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	24.15		
				जीना	1.50		
				शौचालय छत फर्शी	1.44		
				कुलयोग :-	55.38		
34	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	बारेलाल पिता सुकके अहिरवार बलराम पिता पिरू उमेद पिता मुल्लू सोमाबाई बेबा कुन्दन टीकाराम पिता मुलू	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	80.75		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल गिरी हुई	47.50		
				कुलयोग :-	128.25		
35	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	बृजेश पिता लच्छू अहिरवार (पत्नि रश्मि)	गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती	26.91	लच्छू पिता पुन्ने (पत्नि मुन्नाबाई)	स्थायी निवास
				कमरा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	46.54		
				शौचालय पक्की सीमेट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	74.89		
36	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	महेन्द्र पिता हरपे अहिरवार(पत्नि कण्णाबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	12.87		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट	12.87		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	28.90		
				कुलयोग :-	54.64		
37	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	हरपे पिता पुन्ने अहिरवार (पत्नि रामकली) लच्छू पिता पुन्ने	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	26.45		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	26.45		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का	10.05		
				जीना पत्थर का	2.68		
				शौचालय छत नहीं	1.44		
				कुलयोग :-	67.07		

38	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्नि रुपाबाई) रेवाराम पिता भदूरे (पत्नि कलाबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	31.42		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	31.42		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरैल + जिक सीट	26.55		
				कुलयोग :-	89.39		
39	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	अरविन्द पिता गोरेलाल	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	11.40		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	11.40		
				दहलान सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत खपरैल	11.40		
				कुलयोग :-	34.20		
40	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्नि रुपाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	44.38		अस्थायी निवास
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुलयोग :-	45.82		
41	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	पूरन पिता भदूरे अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	23.40		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	23.40		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत फर्श फर्श कच्चा	16.20		
				जीना पत्थर का	1.98		
				कुलयोग :-	64.98		
42	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	वेजनाथ यादव पिता गुलझार (पत्नि सरस्वती)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	60.40		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.98		
				कुलयोग :-	78.38		
43	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	चद्रमान पिता गजराज यादव (पत्नि रेखाबाई) हरीराम पिता गजराज (पत्नि गिरजाबाई)	मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	32.74		अस्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	29.59		
				उपरी मंजिल	29.59		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				दीवार पत्थर की छत फर्श फर्श कच्चा	29.59		
				कुलयोग :-	122.95		
44	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	प्रहलाद लोधी पिता रनधीर लोधी (पत्नि गायत्रीबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	28.35	पुष्पेन्द्र पिता प्रहलाद (पत्नि नीलम)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	28.35		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	5.39		
				उपरी मंजिल	5.39		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्श गाटर फर्श कच्चा	9.46		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनसीट	40.71		
				कुलयोग :-	117.65		

45	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	नंदराम यादव पिता रमेश यादव (पत्नि कुसुमबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	176.57	महेन्द्र पिता नंदराम (पत्नि सूरजबाई)	स्थायी निवास
				भूसा घर दीवार ईट की छत बरसाती	28.83	राजेन्द्र पिता नंदराम (पत्नि बबीताबाई)	
				शौचालय सीमेंट सीट	1.44	गजेन्द्र पिता नंदराम (अविवाहित)	
कुलयोग :-				206.84			
46	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	प्रकाश सेन पिता कनई सेन (पत्नि सरोज)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	36.34		अस्थायी निवास
कुलयोग :-				36.34			
47	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	विन्दावन पिता कनई सेन (पत्नि आशाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	34.20	दीनदयाल पिता विन्दावन (पत्नि सुशीलाबाई)	स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	15.56		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत लैंटर फर्शी गाटर फर्श पक्का	22.43		
कुलयोग :-				72.19			
48	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	आधार सींग पिता रामसींग लोधी (पत्नि श्रीबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	45.00	कोमल सींग पिता आधारसींग (पत्नि पार्वती)	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल	45.00	जाहर पिता कोमल (पत्नि गोराबाई)	
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी	13.00		
				नहानी दीवार लकड़ी छत टीनसैट	13.20	उदयसिंह पिता कोमल (पत्नि सरलता)	
				जीना पक्का ईट का	3.20		
कुलयोग :-				119.40			
49	शासकीय आबादी (गोंवठान)	126	सरदार सिंह पितारामसिंह (पत्नि किरणबाई) गोलू पिता जगत सिंह	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा उपर खपरैल	69.09		स्थायी निवास
				उपर की मंजिल	69.09		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	17.22		
कुलयोग :-				155.40			

50	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	रतनसिंह पिता रामसिंह (पत्नि काशीबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का	52.80	कृपालपाल पिता रतनसिंह (पत्नि कांति)	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	52.80		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी	19.60		
				जीना पत्थर का	1.17		
				कुलयोग :-	126.37		
51	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	राजेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह (पत्नि सत्यवती)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	31.16	गुलाब पिता आधारसींग (अविवाहित)	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	31.16	सोमपाल पिता गुलाब (अविवाहित)	
				कुलयोग :-	62.32		
52	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	अजब सींग पिता गंगा सींग लोधी (पत्नि हरकुवर)	मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	27.60	नेहरसींग पिता गंगा सींग (पत्नि रुकमन)	स्थाई निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.12		
				मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	32.48		
				जीना पक्का	4.30		
				शौचालय पक्का जिक सीट	1.54		
				कुलयोग :-	82.04		
53	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	अवधपुरी पिता भगवतपुरी (पत्नि किशोरी बाई)	मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	33.00		स्थाई निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत लैंटर फर्शी गाटर	47.08		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत लैंटर फर्शी गाटर	20.52		
				शौचालय+ नहानी छत फर्शी गाटर	7.84		
				कुलयोग :-	108.44		
54	शासकीय आबादी (गाँवठान)	126	शंकर पिता हल्के पुरी (पत्नि राधारानी)	मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	19.78	संतोषपुरी पिता शंकर	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में आर.सी. सी. फर्श पक्का	33.56	नरेशपुरी पिता शंकर	
				उपर की मंजिल छत खपरैल	33.56	महेशपुरी पिता शंकर	
				सिंगल मंजिल दीवार ईट छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	59.96		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल	38.70		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	12.075	सुरेशपुरी पिता शंकर	
				सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	85.10		
				शौचालय पक्का छत फर्शी गाटर	10.50		
				कुलयोग :-	293.24		

55	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	मनोजपुरी पिता जगदीशपुरी (पत्नि शिवांगी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	45.99		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	21.93		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनशेड	21.24		
				कुलयोग :-	89.16		
56	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	जितेन्द्र पिता देवीपुरी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.68		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	15.00		
				दहलान पत्थर की गिरी हुई छत नहीं	10.40		
				मंदिर शंकर जी का आर.सी.सी	4.84		
				कुलयोग :-	73.92		
57	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	खिलानपुरी पिता हल्केपुरी (पत्नि ताराबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	51.15	मुकेशपुरी पिता खिलानपुरी (पत्नि बिनीताबाई)	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	19.60		
				कुलयोग :-	70.75		
58	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	भगवतपुरी पिता लल्लेपुरी (पत्नि शदररानी) दीपक पिता अवधपुरी (पत्नि संगीता)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरैल बीच में मचेरा लकड़ी का फर्श कच्चा	55.90		अस्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर का छत टीनशेड फर्श कच्चा	17.64		
				कुलयोग :-	73.54		
59	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	शिवचरण पिता सोहनपुरी (पत्नि सरोजबाई)	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा छत खपरैल फर्श पक्का	28.80	शिल्पी पुत्री शिवचरण (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	28.80		
				सिंगल दीवार ईट की छत आर.सी.सी.	55.80		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत टीन सेट	9.00		
				शौचालय पक्का छत प्लास्टिक सीट	2.72		
				नहानी दीवार ईट की छत प्लास्टिक सीट	2.61		
				कुलयोग :-	127.73		
60	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	दिनेशपुरी पिता अवधपुरी (पत्नि संध्याबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरैल	35.28		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	35.28		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	28.00		
				कुलयोग :-	98.56		
61	शासकीय आबादी (गोवठान)	126	जनकपुरी पिता नथूपुरी	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	69.00		अस्थायी निवास
				उपर की मंजिल	69.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	54.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	49.50		
				कुलयोग :-	241.50		

62	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	बड़ी बहु बेवा अर्जुनसींग	गौशाला दीवार पत्थर छत टीनसेट	15.30	लाखन सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेट	40.76	खलक सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)	
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरा	43.65		
				उपरी मंजिल छत खपरैल	43.65		
				कुलयोग :-	143.36		
63	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	शासकीय प्राथमिक शाला	किचन पक्का छत आर.सी.सी.	26.33		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कमरा पक्का छत आर.सी.सी.	54.72		
				शौचालय ईट की छत फर्शी	8.06		
				शौचालय ओपन	4.08		
				कमरा पक्का छत आर.सी.सी.	29.80		
				कुलयोग :-	122.99		
64	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	मंदिर श्री देवी दुर्गा जी माता	चबूतरा पत्थर का	139.23		निवास हेतु उपयोग नहीं
				मंदिर पक्का मय गुंबद छत आरसीसी.	69.75		
				कुलयोग :-	208.98		
65	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	हरनाम सिंह पिता जगतसींग (पत्नि राजकुमारी)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	46.64		स्थायी निवास
				उपर की मंजिल	46.64		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी	20.92		
				जीना पत्थर का	2.10		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	117.74		
66	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	धर्मेन्द्र पिता सरदार सिंह (पत्नि अनारकली)	मकान दीवार पत्थर की छत टीनशेड	7.84		स्थायी निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का	15.68		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती	21.78		
				जीना पत्थर का	1.75		
				कुलयोग :-	47.05		
67	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	जगतसींग पिता रामसींग (गेंदाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी	19.47	प्रीतम सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
						गोलू सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)	
				कुलयोग :-	19.47		

68	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	हरीसींग पिता रामसींग (पत्नि इमरतीबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का	20.65	चंदन सींग पिता हरीसींग (पत्नि केशरवाई)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट छत खपरैल	20.65	रामपाल पिता चंदनसींग (अविवाहित)	
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर	16.10	औतार पिता हरीसींग (पत्नि अनतरानी)	
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	43.26	सौरभ पिता औतार (अविवाहित)	
				उपरी मंजिल	43.26	खेत सींग पिता हरीसींग (पत्नि रामकली)	
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी फर्श पक्का	29.01		
				जीना पत्थर का	0.60		
				कुलयोग :-	173.53		
69	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	द्वारका पिता गोपाल यादव (पत्नि यशोदाबाई)	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में आर.सी.सी. छत आर.सी.सी.	29.40		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत आर.सी.सी.	29.40		
				सिंगल मंजिल दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	21.60		
				दीवार लकड़ी की छत बरसाती	13.95		
				गौशाला लकड़ी बरसाती			
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				जीना	3.89		
				कुलयोग :-	99.68		
70	शासकीय आबादी (गोंवठान)	212	कोमल सींग पिता आधार सींग	दुकान किराना टीन की बनी	4.14		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	4.14		
71	शासकीय आबादी (गोंवठान)	307	बहादुर पिता गंधर्व (पत्नि मीरा)	मकान दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	24.60		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत जीक सीट	20.400		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल	9.02		
				गौशाला लकड़ी बरसाती	7.480		
				शौचालय दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	1.44		
				गौशाला दीवार ईट+पत्थर छत टीन सेट	23.22		
				होदी पक्की	1.49		
				कुलयोग :-	87.65		

72	शासकीय आबादी (गोंवठान)	307	देवसींग पिता गंधर्व सींग (पत्नि बिमलाबाई)	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	35.23	रामसींग पिता देवसींग (पत्नि सिलोचना)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	22.88	साहबसींग पिता देवसींग (पत्नि अर्चना)	
				दहलान दीवार ईट की छत खपरा बरसाती	26.99		
				किचिन लकड़ी बरसाती का	14.04		
				होदी पक्की	3.29		
				कुलयोग :-	102.43		
73	शासकीय आबादी (गोंवठान)	307	मड़िया चबूतरा श्री कारसदेव	पत्थर का चबूतरा + मड़िया	21.73		निवास हेतु उपयोग नही
				पत्थर का चबूतरा	28.60		
				कुलयोग :-	50.33		
कुलयोग :-					7165.26		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर

- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/03/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिकृत द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-53-अ-82-21-22-भू-अर्जन-23-1616

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | पिथौली |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 61 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.980 हेक्टर
1885.52 वर्गमीटर |

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि(रकबा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियाँ
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अशोक कुमार पिता फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53	0.540	0.200	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
2	खूबा पिता चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/1	0.440	0.440	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1 मुनगा-1 नीबू-1 सूलबबूल-5 साज-1
3	हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2	0.220	0.120	0.000	0.000	-
4	ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/3	0.220	0.220	0.000	0.000	बेरी-1 गुरार-1 नीम-1 सूलबबूल-1
कुलयोग :-				1.420	0.980	0.000	0.000	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.न.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
				झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय	56	जाहर पि. खूबे अहिरवार (पत्नि भूरीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	31.20		स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	31.20		
				दहलान दीवार ईट की छत कंक्रीट गाटर फर्शी	28.80		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	2.75		
				पानी होदी पक्की	3.30		
				प्लंथ पक्की भरी पड़ी	53.32		
				कुलयोग :-	150.57		
2	शासकीय	56	खूबे पिता चेतु अहिरवार	पी.एम आवास बिना प्लास्टर	39.65		स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत RCC	20.15		
				कुलयोग :-	59.80		
3	शासकीय	56	संजू पिता जाहर अहिरवार (पत्नि भारती)	मकान पक्का बिना प्लास्टर छत RCC	44.00		स्थाई निवास
				कुलयोग :-	44.00		
4	शासकीय	56	ऑगनबाडी भवन	दीवार ईट की छत RCC फर्श पक्का	60.75		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	60.75		
5	शासकीय	56	धनप्रसाद पिता किशोरी अहिरवार (पत्नि धनप्रसाद)	मकान पक्का बिना प्लास्टर छत RCC फर्श पक्का	28.08		स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत RCC, फर्श पक्का	21.45		
				कुलयोग :-	49.53		
6	शासकीय	56	मूरत सींग पिता मानसींग लोधी (पत्नि नीमाबाई)	मकान दीवार ईट छत खपरैल फर्श कच्चा	14.15		स्थाई निवास
				दहलान लकड़ी छत टीनशेड	12.30		
				कुलयोग :-	26.45		
7	शासकीय	56	भूपेन्द्र सींग पिता जाहरसींग लोधी	मकान दीवार ईट + पत्थर छत जंक सीट फर्श कच्चा	32.26		स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट+लकड़ी छत बरसाती	21.75		
				कुलयोग :-	54.01		

8	शासकीय आबादी (गांवठान)	333	एकीकृत माध्यमिक शाला	भवन पक्का गाटर फर्श फर्श पक्का दीवार ईट	58.52		निवास हेतु उपयोग नहीं
				भवन दीवार ईट की छत गाटर फर्श फर्श पक्का	26.62		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	18.725		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	18.88		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	45.82		
				सोचालय पक्का छत आर.सी.सी	9.79		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	18.50		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	21.06		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	43.74		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	57.003		
				भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	54.76		
				होदी पक्की	0.810		
				बाउन्डी बाल बीच में लोहे का गेट	67.4		
				सोचालय पक्का छत आर.सी.सी	6.46		
				कुलयोग :-	448.09		
9	शासकीय	76	चाली पिता हीरा आदिवासी (पत्नि चौदनीबाई)	मकान दीवार व छत लकड़ी बरसाती	31.36		स्थाई निवास
				सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट	1.43		
				कुलयोग :-	32.79		
10	शासकीय	76	मीनाबाई पति रामप्रसाद आदिवासी	दीवार ईट छत खपरेल फर्श कच्चा	21.00		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा	14.10		
				सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट	1.54		
				कुलयोग :-	36.64		
11	शासकीय	76	गणेश पिता हल्के अदिवासी (पत्नि सुनीता)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	20.48		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	16.00		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती फर्श कच्चा	10.20		
				सौचालय दीवार ईट की छत जिंक सीट	1.54		
				मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	26.445		
				कुलयोग :-	74.67		
12	शासकीय	76	भोपालसींग पिता नारानसींग लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	22.40		अस्थाई निवास
				कुलयोग :-	22.40		
13	शासकीय	196	मंदिर श्रीदेव हनुमान जी स्वामी	चबूतरा पक्का आर.सी.सी छत टीनशेड	75.60		निवास हेतु उपयोग नहीं
				चबूतरा के उपर मंदिर पक्का फर्श पक्का	9.00		
				यज्ञशाला चबूतरा पत्थर छत घास-फूस	81.00		
				चबूतरा शंकर जी का पक्का	39.53		
				कुलयोग :-	205.13		
14	शासकीय (कब्रिस्तान)	441	शमशान घाट	शमशान चबूतरा पक्का आर.सी.सी पिलर लोहे के छत टीनसेट	37.21		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	37.21		

15	शासकीय	209	मानसींग पिता कल्यान लोधी (पत्नि जीराबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श कच्चा	48.00	हनुमत पिता मानसींग (पत्नि प्रभा बाई)	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	48.00	भोपाल पिता मानसींग (पत्नि अनीता)	
				दहलान सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्श फर्श कच्चा	9.68	अरविंद पिता मानसींग (पत्नि इमरती)	
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर+ईंट बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	14.58		
				उपर की मंजिल छत खपरैल	14.58		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	38.40		
				उपर की मंजिल छत खपरैल	38.40		
				कमरा दीवार पत्थर की छत टीनशेड	14.80		
				होदी पक्की	2.00		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	229.87		
16	शासकीय	209	भोपाल सींग पितः नारानसींग (पत्नि प्रभाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श कच्चा	155.15		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	155.15		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्श फर्श पक्का	22.20		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत फर्श फर्श पक्का	10.56		
				उपर की मंजिल खपरैल	10.56		
				कुलयोग :-	353.62		
				कुलयोग :-	1885.52		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में, प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य

और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का

- आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ~~24/03~~ /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-03-अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-1836

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : सलैया खूद
4. पट.ह.नं.- : 08
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 150.07 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कल्पना पति सुनील कुमार साहू पता सा कटरा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2	1.610	1.600	0.000	0.010	कुआपक्का-1 गुरार-1 छेवला-1 अमरुद-39 जिमरिया-1 सेव-1, बेरी-1 आम-1, नीबू-2 मुनगा-1
2	अर्जुन सिंह पिता शालगराम यादव सा मोठी राजुल पिता राजेन्द्र प्रसाद राजोरिया सा. मोपालगंज सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4	1.610	1.610	0.000	0.000	बबूल-2 बासभिरा-2 घोट-1 छेवला-2 यूकेलिपटिस-7 गुरार-1
			5/2	1.210	1.210	0.000	0.000	टूयूबवेल-1 साज-1 यूकेलिपटिस-5 बासभिरा-3 बबूल-1 बीजा-1 जाचेर-2

3	अमोल पि. खुमान काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5/1	0.400	0.400	0.000	0.000	बबूल-3 बासमिरा-1 चिरोल-1 आवला-1 सीताफल-1 आम-4 नीबू-8 जामुन-1 रायकरोदा-1
4	लोटन पि. सरू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	6	1.610	1.610	0.000	0.000	कैम-5 साज-1 छेवला-1 गुंजा-1
5	रमेश पिता मंगल मुन्नीबाई बसंतीबाई पुत्री मंगल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7	1.610	1.610	0.000	0.000	गुंजा-2 छेवला-4 कैम-2 साज-5 नीम-1 खेर-3 जाचेर-2 अस्तो-1 चिरोल-1
6	जगदीश पि. हरिनारायण पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	8	1.640	1.640	0.000	0.000	—
7	नबू पिता परसादी ललताबाई पुत्री परसादी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10/1	1.210	1.200	0.000	0.010	दूयूबेल-1 साज-1 छेवला-1 हडूवा-1 जाचेर-1
8	बहादुर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत पता नि. हटा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10/2	0.400	0.400	0.000	0.000	—
9	सत्यनारायण पि. कन्छेदी मागबाई प्रागबाई पुत्री कन्छेदी जसरथ छोटेला शिवराज पिता रूपसींग उर्फ रामसींग उर्मिला पुत्री रूपसींग उर्फ रामसींग रामप्यारी बेबा रूपसींग उर्फ रामसींग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13/1	1.730	1.730	0.000	0.000	गुरार-1 पीपल-1 आवला-1 बेरी-1
10	दुरगसींग देशराज उदयमान पिस. दशरथ पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13/2	1.720	1.710	0.000	0.010	कुआपक्का-1 बबूल 1नीम-1 गुरार-1 जामुन-2 आम-1
11	अशोककुमार पुत्र रामशरण पता उल्दन बन्डा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	14	1.400	1.390	0.000	0.010	कुआपक्का-1
12	मवरसिंग पि. पप्पू गुडडी ना.वा. पि. पप्पू पालक भाई मवरसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	15	1.210	1.210	0.000	0.000	—
13	वीरसींग पुत्र घनश्याम जाति पाल पता उल्दन बन्डा 1/2 भूमि स्वामी अर्जुन पुत्र पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी विक्रम पुत्र पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी बंटी पुत्री पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी संगीता पुत्री पर्वत जाति पाल	भूमिस्वामी	16	0.110	0.110	0.000	0.000	—
			20	0.080	0.080	0.000	0.000	—
			82	0.110	0.110	0.000	0.000	बासमिरा-4 अमरुद-2
			232	0.910	0.910	0.000	0.000	नीम-1

	पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी कल्लोबाई बेवा पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी							
14	जाहर पि. घंसा पता नि. बहरोल व भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	17	1.400	1.400	0.000	0.000	—
15	देवेन्द्र पुष्पेन्द्रसिंह पिस. देवमानसिंह चन्द्रकांता ववा देवमानसिंह पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	18	0.180	0.180	0.000	0.000	—
			21	0.630	0.630	0.000	0.000	सेमर-1
			244	1.210	1.210	0.000	0.000	कोहा-1 छेवला-2
16	रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23	1.610	1.580	0.000	0.030	कुआपक्का-1 कजी-1 सागोन-2 नीम-1 सूलबबूल-2 अमरुद-3 नीबू-2 केर-1 बेरी-3 पपीता-5
17	तेजराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता नि. सलैयाखुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24/1/1	0.150	0.140	0.000	0.010	कुआकच्चा-1
			28/2	0.130	0.130	0.000	0.000	—
			43/4	0.080	0.080	0.000	0.000	अमरुद-2
			43/7	0.400	0.400	0.000	0.000	—
			43/8	0.460	0.460	0.000	0.000	—
			74/2	0.590	0.590	0.000	0.000	रेंजा-1 छेवला-1 अमरुद-1 जामुन-1
18	काशीराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24/2	0.140	0.140	0.000	0.000	पीपल-2
			28/4	0.130	0.130	0.000	0.000	—
			43/2	0.710	0.710	0.000	0.000	—
			43/10	0.220	0.220	0.000	0.000	—
			74/1	0.600	0.590	0.000	0.010	कुआपक्का-1 उमर-1 अमरुद-4 नीबू-4
19	बिहारी रामप्रसाद पिस. श्यामलाल शांतीबाई बेवा श्यामलाल शारदाबाई गुलाबबाई पुत्री श्यामलाल पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/1	0.130	0.130	0.000	0.000	—
			43/1	1.200	1.190	0.000	0.010	कुआपक्का-1 टूयूबबेल-1 सूलबबूल-1 नीम-2 गुजा-1 यूकेलिपटिस-5 बेरी-1 आवला-1 बासभिरा-2 सीसम-2
			43/5	0.100	0.100	0.000	0.000	गुजा-1 बेरी-1
			43/9	0.220	0.220	0.000	0.000	—
20	नोनीबाई बेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस. जयराम मालती पु. जयराम पटैल पता	भूमिस्वामी	28/3	0.130	0.130	0.000	0.000	—
			43/3	0.630	0.620	0.000	0.010	कुआपक्का-1 अमरुद-1

	सा. बहरोल भूमि स्वामी		43/6	0.080	0.080	0.000	0.000	—
			43/11	0.220	0.220	0.000	0.000	—
			74/3	0.590	0.580	0.000	0.010	कुआपक्का-1 रेजा-1 बेरी-2
21	पुनू पंचू पिस. गन्दुवा लच्छी बारीबाई पुत्री गन्दुवा नि. बहरोल ईश्वरबाई प्रेमबाई पुत्री गनपत पता नि. चन्द्रपुरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29	0.700	0.700	0.000	0.000	गुमेर-1
			31	0.430	0.420	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			48	0.510	0.510	0.000	0.000	—
22	पुनू पुत्र गंदुवा जाति लोधी पता सलैया खुर्द बन्डा सागर मध्य प्रदेश 3/72 भूमि स्वामी पंचू पुत्र गंदुवा जाति पटेल पता बहरोल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 3/72 भूमि स्वामी लच्छीबाई पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 23/72 भूमि स्वामी बारीबाई पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 23/72 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	30/1	0.720	0.700	0.000	0.020	कुआपक्का-1 कुआकच्चा-1 छेवला-1
23	दयाराम प्यारेलाल धुन्हे हल्काई पिस. परमसुख पटेल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	32	0.900	0.880	0.000	0.020	कुआपक्का-1 टूयूबबूल-1 बबूल-1 रेजा-1 अमरुद-2
24	देवीसींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/1	0.030	0.030	0.000	0.000	—
			44/1	1.120	1.120	0.000	0.000	नीम-1 बबूल-1
			68/1	0.590	0.590	0.000	0.000	—
			89/1	0.170	0.150	0.000	0.020	कसई-1 नीम-1 बेरी-4 सूलबबूल-45 चमेली-1 सागोन-1 कपास-1 अमरुद-5 नीबू-2 बेल-3 आवला-3 अनार-1
			144/1	0.220	0.220	0.000	0.000	—
			218/1	0.640	0.640	0.000	0.000	छेवला-1
			222/1/1	0.400	0.400	0.000	0.000	—
25	रामकुमार भाईसहाब मेघराज पिता बलराम सावित्री बे. बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/2	0.030	0.030	0.000	0.000	—
			89/2	0.170	0.160	0.000	0.010	सूलबबूल-4 नीम-1 इमली-2 चमेली-1 बेरी-4 अनार-1 अमरुद-3
26	कुशुमबाई पति राजाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34	0.060	0.000	0.060	0.000	छेवला-1 बबूल-1 रेजा-1

27	कौशल्याबाई पिता हल्के पता बंडा 1/9 भूमि स्वामी विक्रमसींग गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी गिरवरसींग पुत्र गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी शिवकली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी कुसुमबाई बेवा गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी मीकम पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी देशराज पुत्री गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी राजसींग पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी गंगाबाई बेवा गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी सुदामाबाई पुत्री हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी कड़ोरी पुत्र हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	35	0.620	0.620	0.000	0.000	—
			36	0.520	0.520	0.000	0.000	—
28	इमरत सिंह पिता शोमाम पता सा.देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रेमसिंह पिता शोमाराम पता सा.देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुम पुत्री शोमाराम पता सा.देह 1/3 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37/1	0.550	0.550	0.000	0.000	दूयूबबेल-1
			195/1	0.520	0.520	0.000	0.000	कोहा-1
29	धुवसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी हम्मीरसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी कुंवरबाई बेवा हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2	0.430	0.420	0.000	0.010	कुआकच्चा-1 सीसम-2 छेवला-1
			195/2	0.640	0.640	0.000	0.000	छेवला-1
30	रतनबाई बेवा खेतसींग भूपेन्द्र प्रवेन्द्र ना.वा.पि. खेतसींग बबीता वा. आरती पुष्पा ना.वा.पुत्री खेतसींग पा माँ रतनबाई बेवा खेतसींग प्रहलाद पि. पर्वतसींग बड़ी बहू उर्फ बेटीबाई बेवा पर्वतसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	38	0.700	0.700	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-3 रुसल्ला-1 बेरी-4
			65	0.660	0.660	0.000	0.000	—
			181	0.450	0.450	0.000	0.000	—
			195/3	1.150	1.150	0.000	0.000	कोहा-1 छेवला-3 रुसल्ला-1
			198/1	0.200	0.200	0.000	0.000	—
31	मबूदे जगन्नाथ पि. मग्गे मना पुत्री मग्गे सीताराम शालकराम भलखान पि. गनेश फूलबाई मल्लोबाई पुष्पाबाई पुत्री गनेश पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	39	0.120	0.120	0.000	0.000	—

32	नंदराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी राजाराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी रामदीन पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	0.130	0.130	0.000	0.000	—
33	मबूदे जगन्नाथ पि. मग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश गोराबाई बेवा गनेश फूलाबाई मल्लोबाई प्रभाबाई भूमि स्वामी पुत्री गनेश पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41	0.130	0.130	0.000	0.000	—
34	तिजई पिता पंचू सियाबाई कमलाबाई पुत्री पंचू छोटे रगनाथ राम पिस. टूडे मथुराबाई वेवा मन्नू रोहण वा. जग्गो मल्ली सुखवती ना.वा.पु. मन्नू बली माँ मथुराबाई वेवा मन्नू रामकली वेवा. हरवंशी, रतीबाई पुत्री हरीसींग नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	42	0.130	0.130	0.000	0.000	खेर-1
35	सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/2/1	0.240	0.230	0.000	0.010	नीम-1
36	पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/3	0.190	0.190	0.000	0.000	—
			45/3	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			61/1	0.800	0.800	0.000	0.000	—
			61/2	0.300	0.300	0.000	0.000	बरगद-2
			96/3	0.530	0.530	0.000	0.000	गूजा-1 रेजा-1 अस्तो-1 आम-1 बेरी-2
			116	0.030	0.020	0.000	0.010	अमरुद-1 बेल-1
			126/1	0.060	0.060	0.000	0.000	बेरी-1
			126/2	0.060	0.060	0.000	0.000	बेरी-1
			131/2	0.150	0.150	0.000	0.000	सागोन-3 यूकेलिपटिस-5 सूलबबूल-14 आवला-6
			144/2	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			203	0.270	0.270	0.000	0.000	—
			204/1	0.470	0.470	0.000	0.000	—
			205/1	0.140	0.140	0.000	0.000	—
37	रमेश पिता मोहन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/1	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			61/4	0.290	0.290	0.000	0.000	गुमेर-1
			96/1	0.530	0.530	0.000	0.000	बबूल-2 सागोन-1 कोहा-1 बेरी-1 सूलबबूल-5

			130/2	0.020	0.020	0.000	0.000	सागोन-5 सूलबबूल-3 अमरुद-1 बेल-1
			131/1	0.150	0.150	0.000	0.000	रेंजा-1
			159	0.320	0.320	0.000	0.000	बबूल-1 सूलबबूल-1
			204/2	0.230	0.230	0.000	0.000	—
			205/2	0.070	0.070	0.000	0.000	छेवला-1
38	कल्लोबाई जोजे उजयारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/2	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			61/3	0.300	0.300	0.000	0.000	—
39	शेरसींग गोदनसींग पि. जनकसींग मवरसींग पि. पप्पू बारी बहू वेवा पल्टू गुड्डीबाई पुत्री पप्पू शिवसींग परताप ईदल लखन पिता भगुन्त राधाबाई वेवा भगुन्तसींग सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46	1.060	1.060	0.000	0.000	—
40	दरयान पि. परमसुख पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	47	0.500	0.500	0.000	0.000	—
41	गजराजसींग पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	49	0.310	0.310	0.000	0.000	—
			51	0.300	0.300	0.000	0.000	—
			112	0.030	0.030	0.000	0.000	बेरी-1
			114	0.040	0.000	0.040	0.000	सूलबबूल-1 बेरी-2
			125	0.060	0.060	0.000	0.000	सूलबबूल-2 बबूल-1 बासभिरा-2 ईमली-1
			163	0.100	0.100	0.000	0.000	संमर-1
			167	0.410	0.410	0.000	0.000	गुरार-1
			200	0.470	0.470	0.000	0.000	—
42	इमरत पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50	0.310	0.310	0.000	0.000	—
			109	0.080	0.080	0.000	0.000	सूलबबूल-3 जामुन-1 बेरी-6 अमरुद-1
			121	0.070	0.070	0.000	0.000	सागोन-1 बेरी-1
			160	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			164	0.510	0.500	0.000	0.010	कुआ पक्का-1 नीम-1
			201	0.600	0.600	0.000	0.000	सूलबबूल-1
43	साहबसींग पिता उमराव पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सुमित नाबालिंग पिता पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	52	0.310	0.310	0.000	0.000	रेंजा-2 पीपल-1 खेर-1 बबूल-1 नीम-1 बेरी-2
			69	0.470	0.470	0.000	0.000	रेंजा-2
			110	0.060	0.060	0.000	0.000	बेरी-1

	सोमपाल नाबालिंग पुत्र पिटपिट संरक्षक खुद मों धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी सुमन नाबालिंग पुत्री पिटपिट संरक्षक खुद मों धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी धनबाई बेवा पिटपिट जाति लोधी पता सलैया खुद बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी गुलझार पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी मूरे पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी हनमत पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी मूरीबाई बेवा उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी		127	0.070	0.000	0.020	0.050	सागोन-1 सूलबबूल-3 नीबू-1 अमरुद-3
			221	0.530	0.530	0.000	0.000	—
44	बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53/1	1.100	1.100	0.000	0.000	चिरोल-1 रेंजा-3, नीम-1 छेवला-1
			87/1	1.400	1.400	0.000	0.000	रेंजा-2 पीपल-1 सूलबबूल-5 सागोन-2 कोहा-2 बेरी-15 मेनार-10 खजूर-8
			90/1	0.190	0.170	0.000	0.020	बबूल-2 बासभिरा-1 सूलबबूल-1 कचनार-1 बेरी-6 इमली-1
			223/1	1.230	1.230	0.000	0.000	सूलबबूल-1 छेवला-1 पीपल-1 रेजा-2
			223/2	1.000	1.000	0.000	0.000	—
45	मुन्नीबाई पति देवेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53/2	0.020	0.000	0.020	0.000	—
46	प्र.तीकसिंह ना.वा.वल्लद व वली विजयसिंह वल्लद बलवन्तसिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53/3	1.200	1.200	0.000	0.000	आवला-1 बेरी-1
			168/1	0.060	0.060	0.000	0.000	—
			178/1	2.340	2.340	0.000	0.000	—
47	रामराज ना बा पिता जनकसिंह पता निवासी कुल्ल सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54/1	2.300	2.300	0.000	0.000	महुआ-3 आवला-1
48	जनकसींग पिता गजराजसींग पता सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54/2/1	1.150	1.150	0.000	0.000	बबूल-1
			30/2	0.200	0.200	0.000	0.000	—

49	दुर्जनसींग पि. फूलुसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	57/1	0.350	0.350	0.000	0.000	रेंजा-1
			138	0.520	0.520	0.000	0.000	-
			191	0.500	0.500	0.000	0.000	-
50	अरविन्द पिता रामविशाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	57/2	1.600	1.600	0.000	0.000	चिरोल-1 येरमा-2 छेवला-1 साज-1 केंथ-1 बेरी-1
51	उदयमान पिता रूपसींग पता सा. देह सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्राजसिंह पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी मझली विन्ना पुत्री रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की विन्ना पुत्री रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी जसवंत, प्रति, पिता वीरसींग, राजबाई बेवा वीरसींग सा. देह पता सागर म0प्र0 1/42 भूमि स्वामी प्रह्लाद, महेन्द्र, प्रियंका, पिता नरेन्द्रसिंह सा. देह पता सागर म0प्र0 1/6 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/1	2.260	2.250	0.000	0.010	कुआपवका-1 महुआ-1 साज-1 कसई-1 छेवला-1 अमरुद-2
			145	0.060	0.060	0.000	0.000	-
			180/1	0.060	0.060	0.000	0.000	-
			58/2	0.820	0.820	0.000	0.000	-
52	शांतीबाई जोजे गनेश पटेल पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			178/2	2.400	2.390	0.000	0.010	कुआपवका-1
			179	0.070	0.070	0.000	0.000	-
			180/2	0.090	0.090	0.000	0.000	-
53	गोविंद पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/4	0.390	0.390	0.000	0.000	-
54	शिवराजसींग मूपन्द्रसींग गनेशसींग खिलानसींग पि. मर्दनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/1	0.950	0.950	0.000	0.000	साज-2 बीजे-2 खेर-1
			59/6	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			113/1	0.020	0.020	0.000	0.000	कुआपवका-1 नीवू-1 बेरी-1
			135/1	0.130	0.130	0.000	0.000	-
			169	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			176/1	0.150	0.150	0.000	0.000	-
			176/2	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			188/2	0.190	0.190	0.000	0.000	-
			240	1.340	1.340	0.000	0.000	पीपल-1 बेरी-1
55	सागर ना बा बल्द वली अरविन्द सिंह पिता राधेसिंह पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/2	0.760	0.760	0.000	0.000	छेवला-3 बबूल-1
			70	0.270	0.270	0.000	0.000	सेमर-1
			133	0.110	0.110	0.000	0.000	बेरी-1
			135/2	0.130	0.130	0.000	0.000	-
			213	0.050	0.000	0.050	0.000	कोहा-1
			219/1	0.120	0.120	0.000	0.000	-
			219/2	0.290	0.290	0.000	0.000	-

56	बारेसींग पिता खलकसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/3, 59/7 - 0.10	0.810	0.810	0.000	0.000	गुजा-1
			113/2	0.170	0.170	0.000	0.000	बबूल-1 सूलबबूल-7 बेरी-1
			135/3	0.080	0.080	0.000	0.000	नीम-1 सूलबबूल-2 कोहा-1 बबूल-1 नीबू-2
			188/1	0.190	0.190	0.000	0.000	-
			188/4	0.170	0.170	0.000	0.000	बीजा-1
			197/1	0.410	0.410	0.000	0.000	छेवला-1 केम-1
			202/2	0.200	0.200	0.000	0.000	कंजी-1
57	भगवत पिता देवीसींग चदाबाई पुत्री देवीसींग गिरजाबाई बेवा देवीसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/4	0.710	0.710	0.000	0.000	महुआ-1 संमर-1
			59/8	0.100	0.100	0.000	0.000	खेर-2
			113/3	0.020	0.020	0.000	0.000	सूलबबूल-1 अमरुद-5 नीबू-2 खजूर-1 बेरी-2 इमली-1
			140	0.320	0.320	0.000	0.000	यूकेलिपटिस5
			197/3	0.410	0.410	0.000	0.000	सागोन-1 सूलबबूल-4
			202/3	0.080	0.080	0.000	0.000	छेवला-3 सूलबबूल-3 अस्ता-1
			206	0.150	0.150	0.000	0.000	-
58	बृजरानी बेवा छोटेलाल कल्याण पिता छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/5	0.720	0.720	0.000	0.000	छेवला-3
			59/9	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			113/4	0.020	0.020	0.000	0.000	सूलबबूल-2 चिरोल-1 गुजा-1 बेरी-1
			135/4	0.260	0.260	0.000	0.000	कर-1 बेरी-1
			188/3	0.180	0.180	0.000	0.000	-
			197/2	0.410	0.410	0.000	0.000	बेरी-1
			202/1	0.200	0.200	0.000	0.000	पीपल-1 छेवला-3
59	मूरतसींग पुत्र लटकन 1/10 भाग, चन्द्रमान पुत्र लटकन 1/10 भाग राजकुमारी पुत्री लटकन 1/10 भाग, विनीता पुत्री लटकन 1/10 भाग, सुशीलाबाई बेवा लटकन 1/10 भाग, ग्याबाई बेवा अर्जनसींग लोधी 1/2 भाग भूमिस्वामी साकिन सलेया खुर्द	भूमिस्वामी	60	1.690	1.690	0.000	0.000	खेर-1 छेवला-1
			97	1.370	1.370	0.000	0.000	पीपल-1
			117	0.030	0.000	0.010	0.020	सूलबबूल-1 अमरुद-2 मुनगा-1
			119	0.020	0.010	0.000	0.010	अमरुद-2 बेल-1

			120	0.020	0.010	0.000	0.010	खिन्नी-1 मुनगा-1 अमरुद-1
			128	0.060	0.060	0.000	0.000	—
			129	0.050	0.050	0.000	0.000	सूलबबूल-6
			132	0.820	0.810	0.000	0.010	कुआपका-1 सूलबबूल-1 रेंजा-1 बेरी-2 आवला-2 अमरुद-4 इमली-2 नीबू-1 केथ-1
60	घनश्याम पिता पल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62	2.710	2.710	0.000	0.000	घवई -1 महुआ-1 छेवला-1 बेरी-2
			93	0.550	0.550	0.000	0.000	सूलबबूल-10 बबूल-1 बेरी-3
			99	0.210	0.210	0.000	0.000	सूलबबूल-4 बबूल-1 बेरी-6 अमरुद-1 मुनगा-1
			100	1.940	1.940	0.000	0.000	ट्यूबवेल-1 सागोन-4 सूलबबूल-6 बासभिरा-2 बेरी-11 आवला-1
			152	0.370	0.370	0.000	0.000	रेंजा-1
			155	1.040	1.040	0.000	0.000	छेवला-2 पीपल-1 सूलबबूल-3
61	शिवराजसींग पिता मर्दनसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/1	0.370	0.370	0.000	0.000	रेंजा-1
			68/2	0.290	0.290	0.000	0.000	रेंजा-1 बेरी-1
			68/3	0.290	0.290	0.000	0.000	चिरोल-1
			184	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			186	0.250	0.250	0.000	0.000	—
62	नम्रता सिंह पत्नि विजयसिंह राजपूत सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/2	0.370	0.370	0.000	0.000	—
63	तिलकसींग पि. रुपसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66	0.850	0.850	0.000	0.000	छेवला-2 पीपल-1
64	घनश्याम पि. पल्लू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	67	0.810	0.810	0.000	0.000	गुमेर-1 छेवला-1
			103	0.010	0.000	0.010	0.000	—
65	गब्बर पिता खूबसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	75/1	0.550	0.550	0.000	0.000	खेर-2 रेंजा-1 बबूल-1
66	राजमहेन्द्र सिंह पिता खूबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	75/2	0.550	0.550	0.000	0.000	—
67	राधाबाई रुक्मन बाई उर्मिलाबाई पुत्री खूबसिंह तुलसाबाई बेवा खूबसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	75/3	0.050	0.050	0.000	0.000	—

68	सुनीला पति राजेश सराफ पता सा. पुरव्याऊ टोरी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76	0.120	0.120	0.000	0.000	—
			83	0.080	0.080	0.000	0.000	रेंजा-1 सूलबबूल-3
			84	0.350	0.350	0.000	0.000	बबूल-3 बेरी-5
			87/2	1.240	1.240	0.000	0.000	छेवला-1 पीपल-1 बबूल-1 बेरी-3 खजूर-1
			90/2	0.190	0.190	0.000	0.000	—
69	प्यारेलाल वल्द तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77	1.060	1.060	0.000	0.000	सूलबबूल-6 नीम-3 खेर-2 यूकेलिपटिस-2 बासभिरा-3 चिरोल-1 अस्तो-4 छेवला-2 रेंजा-1 बेरी-3 आवला-1 अमरुद-1
			85	0.080	0.080	0.000	0.000	—
70	इमरत पि. भावसींग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86	0.830	0.820	0.000	0.010	कूआपवका-1 रेंजा-2 सूलबबूल-5 अस्तो-1 गुरार-2
71	उजयारसिंग पि. जसरथसींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88	0.220	0.200	0.000	0.020	बासभिरा-4 नीम-1 बेरी-3 सूलबबूल-1 कंजी-1 मुनगा-1 अनार-1 पपीता-2
			196/1	1.480	1.480	0.000	0.000	—
72	हरीसींग पिता महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	96/2	0.530	0.530	0.000	0.000	रेंजा-1 छेवला-1
			130/1	0.030	0.000	0.030	0.000	—
			131/3	0.140	0.140	0.000	0.000	—
73	गनेश पि. खुन्ना नि. जबलपुर देवसींग पि. कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेघराज पि. बलराम वली सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पिता बलराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	98	0.220	0.000	0.220	0.000	नीम-1 बेरी-10 बेरी-1
			238	0.700	0.700	0.000	0.000	छेवला-1
74	श्री विन्दावन बाग मंदिर गोपालगंज ट्रस्ट सागर अक् अध्यक्ष प्रबंधक समिति अतिकले. महो. सागर देवस्थान	भूमिस्वामी	101	0.040	0.000	0.040	0.000	—
			102/ब	0.060	0.000	0.060	0.000	—
75	देवीसींग पिता कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेघराज पिस. बलराम सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पुत्री बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	104	0.010	0.000	0.010	0.000	—

76	मावना पति टेकचंद सौरभ गौरव पल्लव पिता टेकचंद सेंटोष पिता डालचंद सुषमा माया प्रभा सेंटोष पिता डालचंद सुषमा माया प्रभा पिता डालचंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	106	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			239	1.280	1.280	0.000	0.000	—
			218/2	0.640	0.640	0.000	0.000	—
77	हरीशंकर पि. जालम नि. बम्होरी जगदीश नर्मदाबाई बेवा मर्दन भूपेन्द्र शिवराज गनेश खिलान पिस. मर्दनसींग बडीबैन सावित्री गुडडी डब्बी नन्नी पिस. मर्दनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	107	0.120	0.120	0.000	0.000	—
			108	0.010	0.000	0.010	0.000	—
78	रमजू पिता नोनेजू उजयारसींग वल्द महाराजसींग लोधी सा. सलैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	111	0.070	0.000	0.070	0.000	मुनगा-1 बेरी-1
			118	0.040	0.040	0.000	0.000	सूलबबूल-3 बेरी-1
			122	0.070	0.070	0.000	0.000	इमली-1
			162	0.080	0.080	0.000	0.000	—
			166	0.380	0.380	0.000	0.000	रेंजा-1
			220	0.640	0.640	0.000	0.000	छेवला-1
79	फूलबाई उर्फ फूलाबाई पति अमान पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	134	0.040	0.040	0.000	0.000	—
			136	0.080	0.080	0.000	0.000	नीम-1 रेंजा-1
			137	0.350	0.350	0.000	0.000	—
80	चित्तामन पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी अशोक पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी रामगोपाल पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी फूलबाई बेवा अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी मालतीबाई पुत्री अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी जगवंती पुत्री अमान जाति यादव पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	139	0.200	0.200	0.000	0.000	—
			227	0.500	0.500	0.000	0.000	छेवला-1
			228/2	0.740	0.740	0.000	0.000	कोहा-1 छेवला-2
			234/2	0.290	0.290	0.000	0.000	—
81	कपूरीबाई पति धरमसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141	0.220	0.220	0.000	0.000	—
82	चन्द्रमान ना.वा.पि. वली लटकनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146	0.060	0.000	0.060	0.000	—
83	धनीराम पि. नंदू सुहागरानी जोजे धनीराम नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/1	0.300	0.300	0.000	0.000	—
84	धनू पि. ननू पंचोबाई जोजे धनू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/2	0.300	0.300	0.000	0.000	—
85	बाबूलाल पि. मुन्डा ललताबाई जोजे बाबूलाल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/3	0.300	0.300	0.000	0.000	—
86	सीताराम पि. मुन्डा चतरा-बाई जोजे सीताराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/4	0.300	0.300	0.000	0.000	—

87	बिहारी पि. फूल्ला चन्दाबाई जोजे बिहारी नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/5	0.300	0.300	0.000	0.000	—
88	हल्लू पि. फूल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/6	0.300	0.300	0.000	0.000	—
89	मुन्ना पि. भूरे शीलाबाई जाजे मुन्ना नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/7	0.300	0.300	0.000	0.000	—
90	गिरधारी पि. भूरे कल्लोबाई जोजे गिरधारी नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/8	0.300	0.300	0.000	0.000	—
91	कुन्जन पि. किशोरा प्रभाबाई जोजे कुन्जन नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/9	0.300	0.300	0.000	0.000	—
92	नारान पि. घूदरा रामबाई जोजे नारान नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/10	0.300	0.300	0.000	0.000	—
93	हरनाम पि. कडोरी बबीता बाई जोजे हरनाम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/11	0.300	0.300	0.000	0.000	—
94	संदीप सौरभ ना.ना.पि.तुलसी राघारानी जोजे तुलसी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/12	0.300	0.300	0.000	0.000	सतकटा-2 छेवला-2
95	दुरजन पि. ननू कांटीबारी जोजे दुरजन नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/13	0.300	0.300	0.000	0.000	—
96	दयाराम पि. पल्टू मजली बहू जोजे दयाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/14	0.300	0.300	0.000	0.000	—
97	शेखर पि. अमोल सजली बहू जोजे शेखर पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150/15	0.300	0.300	0.000	0.000	—
98	बलराम सुखसींग गुडडु उर्फ रामप्रसाद पिता भुजबल संदीप बा धनीराम हल्ले भैया नाबा वली व खुद मा मजली बहू वेवा दिनेश सजोबाई पुत्री दिनेश पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	153	0.410	0.410	0.000	0.000	सागोन-1
			156	1.050	1.050	0.000	0.000	—
			212	1.680	1.680	0.000	0.000	—
			217	0.080	0.080	0.000	0.000	—
99	निर्मयसिंह पिता धरमसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	161	0.080	0.080	0.000	0.000	सीसम-1 छेवला-1 कजी-1
100	साहबसींग, गुलझार सींग पि. उमराव सींग नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165	0.380	0.380	0.000	0.000	सागोन-4
101	तुलसाबाई पति रूपनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	168/2	0.800	0.800	0.000	0.000	नीम-1 उमर-1 रेंजा-1
102	साहबसींग कोमलसींग विश्वनाथ राजकुमार पिस. हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177	1.550	1.550	0.000	0.000	—
103	विमलाबाई वेवा चैनसींग नीलेस नीतेश ना.वा.पिस. चैनसींग बडीबेन रश्मि ना.वा. पुत्री चैनसींग पालक माँ विमलाबाई वेवा चैनसींग शीलाबाई पुत्री गुलझारसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/1	0.220	0.220	0.000	0.000	—

104	ललताबाई पति हम्मीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/2	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			198/2/2	0.130	0.130	0.000	0.000	—
105	शारदा बाई पति बहादुर पता नि. मगरघा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/3	0.220	0.210	0.000	0.010	कुआपका-1
			182/4	0.220	0.220	0.000	0.000	—
			198/2/1	0.120	0.120	0.000	0.000	—
			198/2/3	0.120	0.120	0.000	0.000	—
106	किरणबाई हल्लीबाई पुत्री वीरसींग बलवत सिंह पिता उमराव सिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	183	1.430	1.420	0.000	0.010	कुआपका-1 बबूल-1 छेवला-1 बेरी-1
			189	1.330	1.330	0.000	0.000	—
107	रूपनारायण पिता रामचरण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185	1.180	1.180	0.000	0.000	—
			229	1.790	1.790	0.000	0.000	छेवला-1
			230	0.500	0.500	0.000	0.000	पीपल-1
			236	0.030	0.030	0.000	0.000	—
			241	0.110	0.110	0.000	0.000	—
			242	0.780	0.780	0.000	0.000	—
108	संतोष पिता रूपनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	190	0.450	0.450	0.000	0.000	छेवला-2
109	साहबसींग पि. उमरावसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	192	0.300	0.300	0.000	0.000	कोहा-1 पीपल-1
110	राजासिंह पिता गुलझार सिंह जाति लोधी पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.370	0.370	0.000	0.000	बबूल-3 कोहा-2
111	बिहारी, नंनेभाई संतोष पि. गनेश पता नि. उल्दन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	196/2	0.520	0.520	0.000	0.000	—
112	प्यारेलाल पि. तिजई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199	0.730	0.730	0.000	0.000	छेवला-4
			208/1	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			209	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			210/1	0.200	0.200	0.000	0.000	—
113	मनोजकुमार पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	207	0.560	0.560	0.000	0.000	—
			208/2	0.330	0.330	0.000	0.000	—
			210/2	0.200	0.200	0.000	0.000	सागोन-1
			222/1/2	0.200	0.200	0.000	0.000	—
			222/2	0.400	0.400	0.000	0.000	—
114	बलराम पिता भुजबल सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	211/1	0.190	0.190	0.000	0.000	रुसल्ला-1 छेवला-1
			211/2	0.060	0.060	0.000	0.000	—
115	श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति.कले.एवं अध्यक्ष प्रबंधक समिति श्री विन्दावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान	भूमिस्वामी	214	0.210	0.210	0.000	0.000	—
			216	1.690	1.680	0.000	0.010	पीपल-2

116	मोहनसींग पिता करनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226	0.800	0.800	0.000	0.000	पीपल-1 सूलबबूल-1 चिरौल-1 छेवला-1
117	जगत कृष्णपाल पिस. धनीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1	0.900	0.900	0.000	0.000	कटउमर-1 छेवला-3 गुजा-1 कोहा-1 अस्तो-1
			234/1	0.290	0.290	0.000	0.000	काकर-1 उमर-1
			235/1	0.270	0.270	0.000	0.000	छेवला-3
118	नत्थीबाई सावित्री बाई पुत्री गनेशसींग विकास नाबा पिता करनसींग प्रियन्का प्रीति बा रोशनी नाबा पिता करनसींग वली व खुद माँ बड़ी बहू वेवा करनसींग राजा रोहित बृजेश नाबा पिता धनसींग वली व खुद माँ राजकुमारी उर्फ हल्की बहू वेवा धनसींग नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	231	0.760	0.760	0.000	0.000	छेवला-2
119	उजयारसींग पिता दशरथ बजरानी वेवा दशरथ मुलाबाई नन्नीबाई पुत्री दशरथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233	0.360	0.360	0.000	0.000	-
120	प्रकाशचंद पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235/2	0.600	0.600	0.000	0.000	काकर-1 छेवला-6
121	सुखसींग पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी बलराम पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी गुड्डू उर्फ रामप्रसाद पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी संदीप पुत्र दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी धनीराम नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक माँ मँझलीबहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी हल्लेमैया उर्फ अरविन्द्र नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक माँ मँझली बहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी संजोबाई पुत्री दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी मँझलीबहू वेवा दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी गनेश पुत्र खुन्ना पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237	0.360	0.360	0.000	0.000	-
122	हल्कीबहू वेवा हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी हरपाल पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी महाराजसिंह पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8	भूमिस्वामी	243	0.710	0.710	0.000	0.000	-

	भूमि स्वामी रामकली पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी गानवती पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी सविता पुत्री हरिसिंह पता सलैया खुर्द 1/8 भूमि स्वामी							
123	रूपरानी पति राजू जाति पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24/1/2	0.260	0.260	0.000	0.000	—
124	प्रखर पिता संतोष जैन पता सा देह सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/2/2	0.500	0.500	0.000	0.000	—
			222/2/2	0.200	0.200	0.000	0.000	—
125	टंकसींग पिता प्रहलादसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54/2/2	1.140	1.140	0.000	0.000	—
	कुलयोग:-		310	150.07	148.92	0.71	0.44	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
1	2	3	4	झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)	7	8
1	रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी	23	कल्याण पिता बाबूलाल रैकवार	दीवार मात्र ईट की बनी	20.25	शिवानी पिता कल्याण	स्थाई निवास
				पाइप के उपर टीन शीड	29.04	राजू पिता कल्याण	
				डबल मंजिल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्शी पक्का	32.80	बाबूलाल पिता बंशीलाल	
				उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी	32.80	निरंक	
				सिंगल मंजिल छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	35.20	निरंक	
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	25.20	निरंक	
				कुल योग:-	175.29		
2	सावित्री वेवा बलरामराजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी	44/2/1	श्री देवस्थान (सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी)	चबूतरा पत्थर का बना	14.44	निरंक	मंदिर
				कुल योग:-	14.44		
3	उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि	88	अभयसिंह पिता उजयार सिंह	गौशाला ईट की उपर जिक और	16.72	निरंक	स्थाई निवास

	स्वामी		लोधी	बरसाती			
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	19.35		
				मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन-शौड फर्श कच्चा	14.40		
				मकान कच्चा दीवार ईट की छत टीनशौड फर्श कच्चा	21.07		
				कुल योग:-	71.54		
4	उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी	88	उजयार सिंह पिता जसरथ लोधी मुखिया	पी.एम. आवास	44.85	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय छत सीमेंट सीट दरवाजा नहीं	1.44		
				कुल योग:-	46.29		
5	उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी	88	संतोषसिंह पिता तेज सिंह लोधी मुखिया	पी.एम. आवास	25.2	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग:-	26.64		
6	देव सींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/1	देव सिंह पिता कीरत सिंह लोधी मुखिया	मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल	38.40	रामदेवी पिता देवसिंह	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शौड	12.30	शुभम पिता देवसिंह	
				मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्श पक्का	41.71	निरंक	
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44	निरंक	
				कुल योग:-	93.85		
7	रामकुमार भाईसहाबमेघराज पिता बलराम सावित्री दे. बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/2	भाई साहब सिंह पिता बलराम राजपूत मुखिया	पी.एम. आवास पक्का	38.70	निरंक	स्थायी निवास
				कुल योग:-	38.70		
8	बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	90/1	बाबूसिंह पिता रतन सिंह राजपूत मुखिया	मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का	44.72	मेघा पिता बाबूसिंह	स्थायी निवास
				बाउन्डी वॉल पत्थर की बनी	24.00		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल फर्श पक्का	27.00		
				उपर की मंजिल छत खपरैल	27.00		

				मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	87.48		
				लकड़ी पिलर पर टीन शोड बना	18.00		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				नहानी छत फर्शी	4.00		
				कुल योग:-	233.64		
9	पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116	उजयार पिता महाराज सिंह लोधी मुखिया	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी छत खपरैल	22.88	नंदराम पिता उजयार	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	22.88		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का ऊपर खपरैल फर्श पक्का	65.00	कमल पिता उजयार	
				उपर की मंजिल	65.00		
				दहलान लकड़ी उपर टीनशोड	45.50		
				शौचालय दो नग छत फर्शी	2.88		
				कुल योग:-	94.14		
10	पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116	प्रभू पिता उजयार सिंह मुखिया	दीवाल पत्थर की छत फर्शी कंकरीट फर्श कच्चा	21.24	निरंक	स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का	21.20		
				उपर की मंजिल दीवार ईट छत खपरैल	21.20		
				दीवाल पत्थर की छत बरसाती खपरैल	43.00		
				कुल योग:-	106.64		
11	मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह	117	गजराज सिंह पिता नौनेजू लोधी	सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	24.50	जितेन्द्र पिता गजराज सिंह	स्थायी निवास
				डबल दीवाल पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	30.75		
				उपर की मंजिल	30.75		
				सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी	20.52		
				दीवार ईट लकड़ी छत टीन शोड	20.46		
				दीवार ईट की छत टीनशोड	17.10		

				शौचालय	1.44		
				कुल योग:-	145.52		
12	मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह	117	करन सिंह पिता गजराज सिंह	मकान दीवार पत्थर+ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.00	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग:-	29.44		
13	मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह	119	लटकन सिंह पिता अर्जन सिंह(फौत) पत्नि सुशीलाबाई	सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श कच्चा	21.60	मूरत पिता लटकन	स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का	37.60		
				उपर की मंजिल खपरैल	37.60		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी बिना कंक्रीट	38.61		
				दहलान पत्थर के पिलर उपर टीनशेड	15.81		
				कुल योग:-	151.22		
14	मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह	120	अरविन्द पिता राधे लोधी	सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	42.60	निरंक	स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का	96.36		
				उपर की मंजिल	96.36		
				कुल योग:-	235.32		
15	साहबसींग पिता उमराव बगैरह	127	गुलझार पिता उमराव लोधी मुखिया	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का	35.69	राजा सिंह पिता गुलझारसिंह	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल	35.69		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	19.09		
				दहलान लकड़ी घास फूस बरसाती	10.50		
				मकान दीवार ईट की छत टीन शैड	26.24		
				शौचालय	1.44		
				कुल योग:-	128.65		
16	साहबसींग पिता उमराव बगैरह	127	साहब सिंह पिता उमराव लोधी	झोपड़ी दीवार पत्थर लकड़ी मिट्टी की ऊपर बरसाती	16.64	विजय पिता साहब	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत	18.63	निजाम पिता साहब	

				लकड़ी खपरैल			
				दहलान लकड़ी के उपर टीनशेड	32.94		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का	53.68		
				उपर की मंजिल	53.68		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	37.82		
				शौचालय	1.44		
				कुल योग:-	214.83		
17	नब्बू पिता परसादी ललता बाई पुत्री परसादी	10/1	नब्बू पिता परसादी अहिरवार	पत्थर की दीवाल लकड़ी घास झोपड़ी	12.30	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुल योग:-	12.30		
18	दयाराम प्यारेलाल धुन्धे हल्काई पिस. परमसुख पटैल	32	दयाराम पिता परमसुख पटैल	मकान दीवारे पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.80	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुल योग:-	16.80		
19	नोनीबाई बेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस. जयराम मालती पु. जयराम पटैल	43/3	नोनीबाई बेवा जयराम	शंकर जी की मडिया दीवार पत्थर की उपर फर्शी	2.56	निरंक	निरंक
				कुल योग:-	2.56		
20	श्री देव महादेवजी मंदिरदेह मुह. अति.कले. एवं अध्यक्ष प्रबंधक सिमिति श्रीविन्दावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान	216	श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति. कले. एवं अध्यक्ष प्रबंधक सिमिति श्री विन्दावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान	मंदिर पक्का आर. सी.सी. फर्श पक्का	32.21	निरंक	निरंक
				कुल योग:-	32.21		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वांसक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा

है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, धरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 31/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिकृतता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-86-अ-82-20-21-भू-अर्जन23-1837

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : कुल्ल
4. पट.ह.नं.- : 09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 117.670 हे.
6. अर्जित मकानों का क्षेत्रफल : 1458.89 वर्गमीटर

:: अनुसूची - 01 ::

स. क.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण हे. में			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	द्वारका प्रसाद वल्द रतीराम ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2	0.700	0.700	0.000	0.000	
2	सत्यनारायण पिता द्वारका प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/1	0.760	0.760	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	146/1	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	147/1	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	151/1	0.210	0.210	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	413/1	0.010	0.010	0.000	0.000	बेरी-1 बेल-1, चिरोल-2 बास-83 सूलबबूल-2
3	लक्ष्म नाबालिग पिता श्रीराम संरक्षक संध्याबाई पति श्रीराम जाति श्रीराम पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संध्याबाई पत्नी श्रीराम	भूमिस्वामी	123/2	0.760	0.760	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	146/2	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	147/2	0.130	0.130	0.000	0.000	

1	पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सौरभ पिता श्रीराम जाति गौतम पता रीछई मालथोन सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151/2	0.210	0.210	0.000	0.000	
4	सीताराम पिता दुस्का प्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.760	0.760	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	146/3	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	147/3	0.130	0.130	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	151/3	0.210	0.210	0.000	0.000	
5	भगतसींग पि. वारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	3	0.590	0.590	0.000	0.000	कोहा-3
		भूमिस्वामी	9	0.680	0.680	0.000	0.000	कोहा-1
		भूमिस्वामी	11	0.560	0.560	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	111	1.450	1.450	0.000	0.000	कोहा-1 बबूल-1
		भूमिस्वामी	247	0.090	0.090	0.000	0.000	
6	चंदनसींग पिता गुपालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4	0.530	0.530	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	86/3	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	217	0.320	0.320	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	246/2	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	299	0.170	0.170	0.000	0.000	
7	राजबाई जोजे उजबल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	39	0.450	0.450	0.000	0.000	कोहा-1
		भूमिस्वामी	41	0.580	0.580	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	44	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	93	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	259	0.200	0.200	0.000	0.000	आम-2 महुआ-1 बास-70
8	इमरतसींग भगवानसींग सुरेन्द्रसींग पिता हल्केसींग मीराबाई पुत्री हल्केसींग सुखबाई बेवा हल्केसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	6	0.110	0.110	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	67	0.960	0.960	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	75	0.320	0.320	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	135	0.560	0.560	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	274	0.230	0.230	0.000	0.000	
9	नत्थूसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी सरनसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	14	0.490	0.490	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	32	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	34	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	73	0.490	0.490	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	74	0.240	0.240	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	100	0.950	0.950	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	232	0.120	0.120	0.000	0.000	
10	विश्वनाथ पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी ज्वालासिंह पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी राजबहादुर पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	8	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	16	0.840	0.840	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	40	0.070	0.000	0.070	0.000	
		भूमिस्वामी	43	0.670	0.670	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	45	0.150	0.000	0.150	0.000	

	संतराबाई बेबा केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भगतसिंह पिता बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी रामकलौ पुत्री बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी राजबाई पुत्री बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	48	0.210	0.210	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	136	0.100	0.100	0.000	0.000	
11	विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रसिंग राजबहादुर पिस. केशरी संतराबाई बे. केशरी भगतसिंग पि. बारसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10	0.780	0.780	0.000	0.000	हडुवा-1 छेवला-1
		भूमिस्वामी	12	0.220	0.220	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	99	0.720	0.720	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	127	1.130	1.130	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	172	1.320	1.320	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	188	1.830	1.830	0.000	0.000	बेरी-2 बबूल-1 उमर-1 चिरोल-1 कोहा-1 रेंजा-1
		भूमिस्वामी	273	0.070	0.070	0.000	0.000	चिरोल-1
		भूमिस्वामी	275	0.310	0.310	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	283	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	292	0.210	0.210	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	300	0.100	0.100	0.000	0.000	
12	किशनसिंग मानसिंग पिस. गर्धवसिंग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13/1	0.100	0.100	0.000	0.000	बेरी-2
		भूमिस्वामी	13/2	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	33/1	0.130	0.130	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	47/1	0.330	0.330	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	47/2	0.330	0.330	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	126/1	0.580	0.580	0.000	0.000	अमरुद-5 नौबू-1 कुआ पक्का-1
		भूमिस्वामी	141/1	0.080	0.080	0.000	0.000	छेवला-1
		भूमिस्वामी	198/1	0.140	0.140	0.000	0.000	दयूबबेल-1
		भूमिस्वामी	268/1	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	277/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
13	भोलै ब. भगतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	15	0.400	0.400	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	236	0.200	0.200	0.000	0.000	आम-1 जामुन-3 कोहा-1
		भूमिस्वामी	293	0.180	0.180	0.000	0.000	दयूबबेल-1
14	हरीसिंग पिता ठाकुरदास लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	17/1	0.060	0.060	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	17/2	0.070	0.070	0.000	0.000	उमर-1
		भूमिस्वामी	109/2	0.170	0.170	0.000	0.000	कोहा-1 रेंजा-1 गुरार-1 बबूल-1
		भूमिस्वामी	112/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	114/3	0.050	0.050	0.000	0.000	सागोन-2
		भूमिस्वामी	143/2	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	145/2	0.210	0.210	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	159/3	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	176/1/1	0.200	0.200	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	145/888/2	0.370	0.370	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	178	0.420	0.420	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	215/1	0.040	0.000	0.040	0.000	

		भूमिस्वामी	216/1	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	228/3	0.210	0.210	0.000	0.000	आम-1
		भूमिस्वामी	257/2	0.050	0.050	0.000	0.000	बास-50
		भूमिस्वामी	264/2	0.050	0.000	0.050	0.000	-
15	शान्तिबाई जोजे गोपीसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	17/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	230/2	0.220	0.220	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	231/1	0.120	0.120	0.000	0.000	-
16	मीराबाई जोजे हरीसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	17/4	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-1
		भूमिस्वामी	87	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	177/899/1	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	230/1	0.230	0.230	0.000	0.000	
17	बद्रीप्रसाद पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी मिहीलाल पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	18	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	149	0.130	0.130	0.000	0.000	
18	गीतारानी असोक रानी पानबाई पुत्री गेंदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	19	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	20	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	70	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	220	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	221	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	222	0.230	0.230	0.000	0.000	
19	राजबहादुर सींग पिता केशरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/1	0.520	0.520	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	284	0.450	0.450	0.000	0.000	
20	सतराबाई पति केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/2	0.520	0.520	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	23	0.150	0.150	0.000	0.000	
21	महेन्द्र पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जयराम पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हल्ले उर्फ जयसींग पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हरीबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नीमाबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	24/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	66/1	0.340	0.340	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	76/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	83	0.310	0.310	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	84/2	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	85	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	144/1	0.060	0.060	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	164/1	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	165/1	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	175/2	0.110	0.110	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	227	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	285/1	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	288	0.170	0.170	0.000	0.000	आम-2 जामुन-1 पीपल-1 बास-10 कंजी-1 सहस्र-1 माडन ईमली-2
		भूमिस्वामी	289/910/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	858/1	0.050	0.000	0.050	0.000	

22	केशरीसिंग पिता बाबूसिंग पता सा देह स्वामी	भूमिस्वामी	22/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	24/2	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	66/2	0.340	0.340	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	76/1	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	84/3	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	144/2	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	164/2	0.480	0.480	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	165/2	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	169/2	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	253/2	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	289/910/2	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	858/2	0.050	0.050	0.000	0.000	
23	कुन्दनसिंग पिता बाबूसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/3	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	24/3	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	42	0.460	0.460	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	76/3	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	84/1	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	144/3	0.050	0.050	0.000	0.000	जामुन-1 गुरार-2
		भूमिस्वामी	169/1	0.500	0.500	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	175/1	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	175/3	0.110	0.110	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	195	0.440	0.430	0.000	0.010	बेरी-1 अमरुद-5 आम-1 नीबू-1- रंजा-1 छेवला-1 कुआ पक्का-1
		भूमिस्वामी	253/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	285/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
24	बद्रीप्रसाद पिता बलीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	25	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	26	0.400	0.400	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	30	0.450	0.450	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	289/910/3	0.010	0.000	0.010	0.000	
25	रामस्वरूप पिता बद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	858/3	0.060	0.060	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	27	0.110	0.110	0.000	0.000	
26	विश्वनाथ ज्वाला सींग राजेन्द्रसींग राजबहादुरसींग पिता केशरीसींग भगतसींग पिता बारीसींग संतराबाई बेवा केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	58	0.290	0.290	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	65	0.130	0.130	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	81	0.610	0.610	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	82	0.490	0.490	0.000	0.000	गुरार-1
		भूमिस्वामी	88	0.080	0.080	0.000	0.000	जामुन-1 बेरी-3 नीम-1 खेर-1 गुरार-1 छेवला-1 बास-251 उमर-6
		भूमिस्वामी	89	0.230	0.230	0.000	0.000	

		भूमिस्वामी	90	0.290	0.290	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	91	0.070	0.070	0.000	0.000	वेरी-3 जामुन-3 छेयला-2 खेर-6 उमर-2 बबूल-2 गुरार-3 कंजी-2 सेमर-1 बास-178
		भूमिस्वामी	128	0.360	0.360	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	128/891	0.570	0.570	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	130	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	132	0.180	0.180	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	133	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	134	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	199	0.070	0.000	0.070	0.000	
		भूमिस्वामी	200	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	201	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	202	0.340	0.340	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	204	0.460	0.460	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	249	0.050	0.000	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	272	0.060	0.050	0.000	0.010	चिरोल-1तुन-1 कुआं पक्का-1
		भूमिस्वामी	177	0.330	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	826	0.200	0.200	0.000	0.000	आम-3 मुनगा-1 सेमर-1 केथ-1 यूकेलिपटिस-2 केम-1 सागोन-3 साज-2 सूलबबूल-3 महुआ-2 अचार-1 कसई-2 खेर-1 तेदु-1 नीम-2 रेजा-1 सेजा-65 बास-9640
27	तुलसीराम देवेन्द्र कुमार रामगोपाल मगवानंदनदास पिता कन्हेदी कान्तीबाई अनीता ममता पुत्री कन्हेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29	0.400	0.400	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	148	0.800	0.800	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	150	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	155	0.540	0.540	0.000	0.000	
28	डेलनसिंह गब्बरसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह गनेशीबाई सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसिंह पत्नी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	31	0.730	0.730	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	191	0.810	0.810	0.000	0.000	दयूबबेल-1
29	राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई पिता सम्मरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी पहारसींग किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/2	0.260	0.260	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	117/1/1	0.260	0.260	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	138	0.260	0.250	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
		भूमिस्वामी	198/2	0.290	0.290	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	207	0.230	0.220	0.000	0.010	कुआ पक्का-1

		भूमिस्वामी	269/1	0.060	0.060	0.000	0.000	आम-5 आवला-1 जामुन-1 बेल-1 बेरी-2 रायकरोदा-1 अमरुद-13 नीबू-13 नीम-1 छेवला-1 रुसल्ला-1 यूकेलिपटिस-1
30	शरनसिंग पिता हीरासिंग जाति लोधी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/1/2	0.120	0.120	0.000	0.000	
31	राजेन्द्र सिंह ज्वाला सिंह पिता केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/3	0.130	0.130	0.000	0.000	
32	मोहनसिंग पिता कल्यानसिंग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/4	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	126/5	0.590	0.590	0.000	0.000	आवला-2 अमरुद-1
		भूमिस्वामी	141/2	0.080	0.080	0.000	0.000	बेरी-1 कोहा-1 नीम-1 रेंजा-1
		भूमिस्वामी	198/4	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	224/2	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	268/2	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	270/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	276	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	277/4	0.150	0.150	0.000	0.000	
33	किशनसिंग पिता गंधर्वसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/5	0.090	0.090	0.000	0.000	
34	सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/1	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	36/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	38/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	38/2	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	64/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	122/2	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	126/7	0.200	0.200	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	277/2	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	411/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
35	मुन्नालाल पिता मुलुवा उर्फ मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	62/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	104/1	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	252/1	0.040	0.000	0.040	0.000	
36	महेश गिरधारी हरगोविन्द पिता पूरन सावित्री बाई पुत्री पूरन प्रेमबाई बेवा पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1/1	0.350	0.350	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	252/2	0.030	0.000	0.030	0.000	
37	दुर्गा बा. हीरालाल पारासर पिता जबरा भागबाई बेवा जबरा सुमित्रा पुत्री जबरा फता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1/2	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	255/2	0.030	0.000	0.030	0.000	
38	बृजलाल पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2/1	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	62/2/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	63/2/1	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	94/1	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	95/1	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	96/1	0.260	0.260	0.000	0.000	

		भूमिस्वामी	98/3/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/4/1	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/5/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	104/2/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	250/2/1	0.020	0.020	0.000	0.000	
39	लक्ष्मण पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2/2	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	62/2/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	63/2/2	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	94/2	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	95/2	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	96/2	0.260	0.260	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/3/2	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/4/2	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/5/2	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	104/2/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
40	रामचरण पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	250/2/2	0.010	0.010	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	37/2/3	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	62/2/3	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	63/2/3	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	94/3	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	95/3	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	96/3	0.270	0.270	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/3/3	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/4/3	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	98/5/3	0.060	0.060	0.000	0.000	
41	पुष्पेन्द्र पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी शौरभ पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सुरेखा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी शालिनी पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी संजनी पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी रेशमा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी करिश्मा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी राजकुमारी बेवा नरेन्द्र पता कर्रापुर 1/8 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	250/2/3	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	256/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	37/3	0.640	0.640	0.000	0.000	
42	धनसींग भागचंद पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/4	0.210	0.210	0.000	0.000	
43	विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रराजबहादुर पिता केशरी संतराबाई बेवा केशरी भगतसींग पिता बारे सींग सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46	0.450	0.450	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	225/2	0.150	0.150	0.000	0.000	

44	बलराम पिता राजाराम जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी बहादुर पिता मोती पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि विजयसिंग पिता परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बैया परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50	0.340	0.340	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	52	0.600	0.600	0.000	0.000	कोहा-1
		भूमिस्वामी	60	0.590	0.590	0.000	0.000	
45	फरवतसिंग वल्द फूलसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51	0.160	0.160	0.000	0.000	छेवला-1 बास-25
		भूमिस्वामी	105	0.110	0.110	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	107	0.230	0.230	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	108/1	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	206	1.110	1.110	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-1 खैर-2 छेवला-1 रुसल्ला-2 नीम-3 सुलबबूल-15
		भूमिस्वामी	218	0.150	0.150	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	219	0.150	0.150	0.000	0.000	
46	लखनसिंग महताबसिंग उदमसिंग पिता निरनसिंग चंदाबाई रामवती पुत्री निरनसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	1.000	1.000	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	64/1	0.150	0.150	0.000	0.000	
47	लखनसिंग पिता निरनसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी महताबसिंग पिता निरनसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी उदमसिंग पिता निरनसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी चन्दाबाई पुत्री निरनसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री निरनसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	248	0.040	0.000	0.040	0.000	
48	नारायणसिंग पिता जोधनसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	56	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	113/1	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	298/1	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	296/1	0.080	0.000	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	501/1	0.510	0.000	0.510	0.000	
49	गुलझारसिंग पिता नत्थूसिंग जाति लोधी पता सागर म0प्र0 1/12 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्मेरसिंग जाति लोधी पता सागर म0प्र0 1/12 भूमि स्वामी नन्नेसिंग पिता सुकई पता सागर म0प्र0 1/8 भूमि स्वामी उमरावसिंग पिता सुकई पता सागर म0प्र0 1/8 भूमि स्वामी धनसिंग पिता नत्थूसिंग पता सागर म0प्र0 1/12 भूमि स्वामी लखनसिंग पिता नत्थूसिंग पता सागर म0प्र0 1/12 भूमि स्वामी रामसिंग पिता भंडारी पता सागर म0प्र0 1/48 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर म0प्र0 1/48 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर म0प्र0 1/48 भूमि	भूमिस्वामी	55	0.700	0.700	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	184	0.420	0.420	0.000	0.000	बेरी-1 कोहा-3 छेवला-2 रेंजा-1 बबूल-1
		भूमिस्वामी	197/909	0.120	0.120	0.000	0.000	

	रवामी सुमंत्रा बाई बेवा भंडारी पता सागर म0प्र0 1/48 भूमि स्वामी बडी बहू बेवा जसरथ पता सागर म0प्र0 1/8 भूमि स्वामी पुताबाई बेवा सुकई पता सागर म0प्र0 1/8 भूमि स्वामी चंद्रमान पिता गनपत पता कुल्ल सागर म0प्र0 1/12 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	280	0.270	0.270	0.000	0.000	दयुवबेल-1
50	वीरेन्द्र पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्रजीत पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सरमन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सखिन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई बेवा प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कृष्णा पुत्री प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	152/1	0.380	0.380	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	177/899/2	0.300	0.000	0.300	0.000	
		भूमिस्वामी	296/2	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	298/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
51	शिवराजसींग पिता गुपालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	57	0.100	0.100	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	106	0.280	0.280	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	242/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	246/1	0.030	0.030	0.000	0.000	जंगली एरमा-1
		भूमिस्वामी	259/912	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	290/1	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	291/1	0.170	0.160	0.000	0.010	नीम-1 कुआ पक्का-1
52	बहादुर पिता मोती विजनसींग पिता परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/908/1	0.630	0.630	0.000	0.000	बबूल-1
		भूमिस्वामी	119/1	0.250	0.250	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	120/1	0.320	0.320	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	157	1.270	1.270	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	211/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	245	0.100	0.100	0.000	0.000	
53	देवीसिंह प्रेमसींग पिता राजाराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/908/2	0.320	0.320	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	119/2	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	120/2	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	170	0.250	0.250	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	211/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	260/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
54	बहादुर पिता मोतीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी विजयसींग पिता परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	260/2	0.180	0.180	0.000	0.000	
55	रामप्रसाद लक्ष्मन पिता तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/3	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	63/3	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	104/3	0.020	0.020	0.000	0.000	

56	धनसींग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/4	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	63/4	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	104/4	0.020	0.020	0.000	0.000	
57	मुन्नालाल पिता मुलुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/1	0.080	0.000	0.080	0.000	
58	गंगा जमना मथरा नर्मदा कुन्ती पुत्री भूपेन्द्र सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64/3	0.150	0.150	0.000	0.000	
59	भूपेन्द्र सींग अमरसींग गब्बर जयपालन रामकृपाल पिता रामसींग गुडडी सीना पुत्री रामसींग बडी बहू बेवा रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/1	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	101/1	0.180	0.180	0.000	0.000	आम-1
		भूमिस्वामी	262/1	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	412/1	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	145/1	0.280	0.280	0.000	0.000	
60	रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग कल्लनबाई बेवा रंधीर सींग सिद्धोबाई पुत्री रंधीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/2	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	101/2	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	262/2	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	412/2	0.020	0.000	0.020	0.000	बेरी-2 मुनगा-1 नीम-1 सुलबबूल-1
61	जनकसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/3	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	101/3	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	124/3	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	131/3	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	203/3	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	262/3	0.030	0.000	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	295/3	0.060	0.060	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	412/3	0.020	0.000	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	414/3	0.010	0.000	0.010	0.000	सूलबबूल-2
		भूमिस्वामी	857/893/3	0.270	0.270	0.000	0.000	
62	नय्यूसींग सरनसींग पिता होरासींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.350	0.350	0.000	0.000	
63	करतार सींग पिता बल्लेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72	0.420	0.420	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	79/2	0.150	0.150	0.000	0.000	नौबू-5 आम-4 कठहल-2 अमरुद-10 आवला-3 जामुन-1 अनार-1 बेल-2 सुलबबूल-1 कोहा-1 यूकेलिपटिस-3 कुआं पक्का-1
		भूमिस्वामी	829/2	0.090	0.090	0.000	0.000	

64	विश्वनाथ पिता मन्लाल रामवती पूजा पुत्री मन्लाल कृष्णाबाई बेवा मन्लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77	0.380	0.380	0.000	0.000	
65	रूपरानी उर्फ कुसुमबाई बेवा रामप्रसाद जाति अहिरवार पता पगारा सागर सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78	0.450	0.450	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	79/3	0.240	0.240	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	829/3	0.090	0.090	0.000	0.000	
66	हरगोविंद पिता पूरन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79/1	0.180	0.180	0.000	0.000	
67	खेतसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/1	0.070	0.070	0.000	0.000	आमरुद-52 आम-9 आवला-8 जामुन-2 रायकरोदा-1 कठहल-2 नीबू-7 अनार-1 संतरा-1 जिमरिया-1 सागोन-4 तुन-1 नीम-2 इमली-2 महुआ-1 सुलबबूल-17 माडनइमली-1
68	रामवती पुत्री मन्लाल पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हरिशंकर पिता धनूवा पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी गनू पिता नथू पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रेखा पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विश्वनाथ पिता मन्लाल पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी पूजा पुत्री मन्लाल पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई बेवा मन्लाल पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80	0.160	0.160	0.000	0.000	
69	जगभानसींग पिता गुपालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/1	0.240	0.240	0.000	0.000	आम-1 महुआ-1
		भूमिस्वामी	246/3	0.030	0.030	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	290/2	0.090	0.090	0.000	0.000	चिरोल-1
		भूमिस्वामी	291/2	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	525/1	0.580	0.580	0.000	0.000	
70	समता पति सुधीर कुमार जैन पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/2	0.280	0.280	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	113/2	0.200	0.200	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	126/6	0.220	0.220	0.000	0.000	
71	गण्डी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	92	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	97	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	102/2	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	108/2	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	109/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	110	0.030	0.030	0.000	0.000	कोहा-1
		भूमिस्वामी	112/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	114/2	0.050	0.050	0.000	0.000	सागोन-1

	भूमिस्वामी	122/3	0.450	0.450	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	143/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	145/3	0.210	0.210	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	145/888/1	0.370	0.370	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	159/2	0.300	0.300	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	215/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
	भूमिस्वामी	216/2	0.040	0.000	0.040	0.000	
	भूमिस्वामी	228/2	0.200	0.200	0.000	0.000	आम-1 कुआ पक्का-1
	भूमिस्वामी	257/1	0.040	0.000	0.040	0.000	बास-97
	भूमिस्वामी	264/1	0.050	0.000	0.050	0.000	
	भूमिस्वामी	294	0.420	0.420	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	297	0.060	0.060	0.000	0.000	
	भूमिस्वामी	405/1	0.030	0.000	0.000	0.030	बेल-2 सयकरोदा-1 नीबू-4 अनार-3 अवला-1 बेरी-1 मुनगा-सागोन-1 नीम-1 सुलबबूल-13 यूकेलिपटिस-41 अमरुद-3
	भूमिस्वामी	406	0.020	0.000	0.010	0.000	
72	सुरेन्द्रसींग पिता हल्के सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 98/1	0.420	0.420	0.000	0.000	
73	राजकुमारी पति राजेन्द्र प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 98/2	0.420	0.420	0.000	0.000	
74	लक्ष्मी पत्नी देवीसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 115/2	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 116/3	0.280	0.280	0.000	0.000	
75	विश्वनाथ पिता मन्तूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 102/1	0.420	0.420	0.000	0.000	कोडा-1 सागोन-2
76	पलू पिता अछेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 112/1	0.770	0.770	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 114/1	0.110	0.110	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 159/1	0.600	0.600	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 263	0.060	0.000	0.060	0.000	
77	राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई बेवा सम्मरसींग पहारसींग पि. सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 115/1	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 116/1	0.370	0.370	0.000	0.000	छेवला-1 बबूल-1
78	द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसिंह बल्द खुमानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 116/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 117/2	0.380	0.380	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 198/3	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 269/2	0.050	0.050	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी 277/3	0.160	0.160	0.000	0.000	
79	युजरानी बेवा बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 121	0.600	0.600	0.000	0.000	
80	अनंतसींग अरुणासींग पिता नथूसींग बडीबहु बेवा हरनसींग तुलसा ज्ञान हल्ली पुत्री हरनसींग मकुन्दी पिता बखतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी 122/1	1.220	1.220	0.000	0.000	

81	भूमिन्द्र पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी अमरसींग पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गङ्गारसींग पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी रामकुपाल पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी जयपाल पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गुडडी पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सीमा पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा रामसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	124/1	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	131/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	203/1	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	295/1	0.060	0.060	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	414/1	0.010	0.000	0.010	0.000	बेरी-1 मुनगा-1 महुआ-1 यूकेलिपटिस-1 चिरोल-1
		भूमिस्वामी	857/893/1	0.270	0.270	0.000	0.000	रुसल्ला-1 सेमर-1
82	रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रविन्द्ररामजी पिता रंधीरसींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी कलनबाई बेवा रंधीरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	124/2	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	203/2	0.040	0.040	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	295/2	0.060	0.060	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	414/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	857/893/2	0.270	0.270	0.000	0.000	
83	सिट्टोबाई उर्फ सुखवती पुत्री रंधीर सींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
84	शिवदीन पिता कच्छेदी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रेवाराय पिता कच्छेदी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दयाली पिता कच्छेदी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	125	0.510	0.510	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	240	0.090	0.090	0.000	0.000	
85	सम्भरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी देवीसी पिता खुमान पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बाबूसींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेन्द्र सींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	126/2	0.880	0.880	0.000	0.000	
86	राकेश पिता किशनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	126/3	0.290	0.290	0.000	0.000	छेवला-2 कोहा-1 सेमर-1 खेर-1
87	मानसींग पिता गन्धर्व सींग पता निवासी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	126/4	0.220	0.220	0.000	0.000	
88	राजबाई पुत्री बारसींग पता निवासी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	129	0.530	0.530	0.000	0.000	
89	रूपसींग पिता बल्लेसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	137	0.210	0.210	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	265/2	0.070	0.070	0.000	0.000	आम-1 छेवला-1 बास-29
		भूमिस्वामी	265/3	0.060	0.000	0.060	0.000	
90	श्रीमति शांतिबाई पति मोहनसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	139	0.250	0.240	0.000	0.010	साज-3 कूआं पक्का-1
91	नहतापसींग उधमसींग पिस. निरनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140	0.490	0.490	0.000	0.000	बबूल-1
		भूमिस्वामी	210/1	0.090	0.090	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	210/2	0.090	0.090	0.000	0.000	

92	चंद्रभानु पिता गनपतसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामसिंग पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी सुमत्रा बाई बेवा भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी लखनसिंग पिता नत्थूसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी गुलझारसिंग पिता नत्थूसिंग पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी पर्वत पिता सुमेशसिंग जाति लोधा पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	142	0.510	0.510	0.000	0.000	गुरार-1 रेजा-1
		भूमिस्वामी	156	0.450	0.450	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	163	0.260	0.260	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	278	0.190	0.190	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	281	0.200	0.200	0.000	0.000	
93	राजकुमार पिता अमोलसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/2	0.180	0.180	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	174/1	0.240	0.240	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	158	0.200	0.200	0.000	0.000	
94	राजेन्द्र पिता धीरजसिंग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी श्रीकम पिता धीरजसिंग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हरनाम पिता धीरजसिंग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसिंग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरज पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसिंग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी पार्वतीबाई बेवा धीरजसिंग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	153	0.910	0.910	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	254/1	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	258	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	289	0.170	0.170	0.000	0.000	इमली-1
95	तुलसीराम पिता भगवानसिंह पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	160	0.820	0.820	0.000	0.000	
96	वीरसिंग पिता भगवानसिंग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208	0.220	0.220	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	859/1	0.590	0.590	0.000	0.000	
97	अमोलसिंग पिता थानसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	161	0.870	0.870	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	267	0.170	0.170	0.000	0.000	बास-130
98	श्रीदेव जानकी रमणजी सा. देह पंच बारीसिंग निवासी ग्राम प्रबं.कले.महो. सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162	0.680	0.680	0.000	0.000	अमरुद-1 उमर-1 सागोन-1
		भूमिस्वामी	266	0.180	0.180	0.000	0.000	
99	यशवंतसिंग पिता अमोलसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166	0.330	0.330	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	174/2	0.240	0.240	0.000	0.000	
100	सरनसिंग वल्द हीरासिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	167	0.300	0.300	0.000	0.000	
101	लाखनसिंग पिता निरनसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	168	0.500	0.500	0.000	0.000	
102	झरतसिंग वल्द हल्केसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	171	0.280	0.280	0.000	0.000	

103	पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शरनसींग पिता हीरासींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी द्रोपतीबाई देवा खुमानसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयाबाई देवा सम्मरसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजासिंह पिता सम्मरसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	173	0.460	0.460	0.000	0.000	
104	बलराम पिता रल्ली पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176/1/2	0.120	0.120	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	180	0.130	0.130	0.000	0.000	
105	देवकरन पिता सरनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176/1/3	0.200	0.200	0.000	0.000	
106	पप्पूसींग रगनाथ कोमल उर्फ राजा पिता गोपी सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176/2	1.060	1.060	0.000	0.000	
107	प्रकाश पिता दुरजन दुर्गाबाई जोजे दुरजन बडी बहू जोजे नथूसींग हल्की बहू जोजे शरनसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176/3	0.520	0.520	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	179	0.070	0.070	0.000	0.000	
108	महाराजसींग हरनाम सींग पिस. मिहरवान सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	181	0.530	0.530	0.000	0.000	आम-2 आवला-1 नीबू-1 अमरुद-12 सागोन-1 सुलबबुल-4
109	मायाबाई पति हरनाम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/1	0.170	0.170	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	183/2	0.030	0.030	0.000	0.000	
110	महाराजसींग पिता मिहरवानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/2	0.170	0.170	0.000	0.000	नीबू-1 अमरुद-12 बबूल-1 सुलबबुल-2
111	राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण ब्रा. पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	183/1	0.040	0.040	0.000	0.000	
112	मुकेश सींग शिवराजसींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185	0.550	0.550	0.000	0.000	बेरी-1 बबूल-3 रंजा-2कोहा-6 छेवला-3 बहेडा-1 सुलबबुल-1
113	भगतसींग पिता बारसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी विश्वनाथ सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी ज्वाला सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजबहादुर सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी प्रभा पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी द्रोपदी उर्फ संतराबाई देवा केशरीसींग पता कुल्ल बण्डा 1/28 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	0.310	0.310	0.000	0.000	कुआं पक्का-1

114	विश्वनाथसिंग बल्द केशरीसिंग ज्वालासिंग पिता केशरीसिंग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	189	0.440	0.440	0.000	0.000	बबूल-2 रंजा-2
115	विश्वनाथ पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ज्वालासिंह पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजबहादुर पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संतराबाई बेवा केशरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भगतसिंह पिता बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	190	0.060	0.060	0.000	0.000	
116	गुलझारसिंग पिता नत्थूसींग जाति लोधी पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्भरसिंग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी धनसिंग पिता नत्थूसींग पता सागर 1/6 भूमि स्वामी लखनसिंग पिता नत्थूसींग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी रामसिंग पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वामी सुमंत्राबाई बेवा भंडारी पता कुल्ल बन्डा 1/24 भूमि स्वामी चंद्रमान पिता गनपत पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	192	0.570	0.560	0.000	0.010	नीबू-5 अमरुद-24 कुआं पक्का-1
		भूमिस्वामी	194	0.080	0.000	0.080	0.000	बेरी-1 खेर-1 रंजा-1
		भूमिस्वामी	197	0.160	0.160	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	282	0.260	0.260	0.000	0.000	-
		भूमिस्वामी	401	0.020	0.000	0.000	0.020	नीबू-2 अमरुद-1 सूलबबूल-3
117	जाहरसिंग पिता कुन्दनसिंग भगतसिंग बल्द बारेलाल सियाखानी बेवा बारसिंग रामकली राजाबाई पुत्री बारसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.210	0.210	0.000	0.000	
118	बड़ी बहू बेवा दशरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	196	0.070	0.070	0.000	0.000	
119	खेतसिंग जयसिंग पिता मेहरवानसिंग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	205	0.360	0.360	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	225/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
120	रामसिंग पिता भगवानसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	209	0.100	0.100	0.000	0.000	
121	रामसिंह पिता भगवानसिंह केदार पिता बहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	212/1	0.270	0.270	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	212/2	0.260	0.260	0.000	0.000	
122	सल्ला पिता चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी घूरामन पिता चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कल्लो पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सकुन पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शंकोबाई बेवा चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी धनसिंग पिता नंना पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/1	0.010	0.010	0.000	0.000	
123	श्रीदेव जानकी रमण जी मुह. अमोलसिंग पिता धानसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/2	0.140	0.140	0.000	0.000	

124	श्री श्री 1008 माता बीजासन मंदिर मोजा देह व्यवस्थापक अमोल सींग पिता थानसींग लोधी काशीराम पिता नंदलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/3	0.140	0.140	0.000	0.000	
125	अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्ल रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	223	0.240	0.240	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	304	0.090	0.050	0.000	0.040	मुनगा-1 नौबू-1 बेल-2 अनार-1 बेरी-1 आम-3 जामुन-1 आबला-1 अमरुद-9 नीम-2 बास-25 चिरोल-2 महुआ-1 सागोन-1 किरवारा-1 कंजी-2 पापडा-1 छेवला-1 यूकेलिपटिस-6 सूलबबूल-10
126	परसोतीबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी किशनसींग पिता गंधर्व सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी मानसींग पिता गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	224/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	270/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
127	नथूसींग शरणसींग पिस. हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226/1	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	226/2	0.120	0.120	0.000	0.000	
128	सचिन पिता औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दीपा पुत्री औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रतिभा बेवा औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1/1	0.080	0.080	0.000	0.000	आम-1
		भूमिस्वामी	554/3	0.930	0.000	0.930	0.000	
129	शिवकुमार पिता कैलाश चंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	234/1	0.130	0.130	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	397/1/1	0.010	0.010	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	554/2	0.940	0.000	0.940	0.000	
130	सचिन दीपा पिता औंकार प्रसाद प्रतिभा बेवा औंकार प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234/2	0.140	0.140	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	397/1/2	0.010	0.010	0.000	0.000	
131	मुन्ना पिता सिद्धी चाली पुत्री भन्ती पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229	0.010	0.000	0.010	0.000	
132	अनन्तसींग नावा बलदनथूसींग वली चाचा शरणसींग पिता हीरासींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233	0.090	0.090	0.000	0.000	
133	कलीबाई पिता बारसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235	0.370	0.370	0.000	0.000	बेरी-3 बबूल-3 नीम-5 बास-55 खेर-1 इमली-1
134	धनसींग पिता नथूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237	0.080	0.000	0.080	0.000	
135	गिरधारी ग्याप्रसाद मुरलीशोभा थोवन पिस. लछमन ज्ञान पारवती पुत्री लछमन अट्टोबाई बेवा लछमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	238	0.080	0.080	0.000	0.000	

136	अमोलसिंग पिता धानसिंग पता सागर 1/3 भाग भूमि स्वामी डेलन पिता भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गम्बर पिता भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गंगा पुत्री भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी जमना पिता भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी मथरा पुत्री भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी नर्मदा पुत्री भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी कुती पुत्री भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गनेशबाई बेवा भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसिंग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी भीकम पिता धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी हरनाम पिता धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा धीरजसिंग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239	0.300	0.300	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	243	0.150	0.150	0.000	0.000	आम-1
137	भगवानसिंग पिता हल्केसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	241	0.090	0.000	0.090	0.000	
138	शिवराजसिंग पि. गुपालसिंग चंदनसिंग जगभान पि. गुपाल गनेशी वे. गुपालसिंग राजाराम पिता महादेव फूलबाई पु. महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	242/2	0.090	0.090	0.000	0.000	
139	महेराजसिंग पिता मिहरवानसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	244	0.130	0.130	0.000	0.000	
140	रामप्रसाद उत्तम पिस. तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	250/1	0.040	0.000	0.040	0.000	महुआ-1
		भूमिस्वामी	256/1	0.010	0.000	0.010	0.000	
141	अमरसिंग हरिचंद पिता रज्जू जलधारा इन्द्ररानी हल्ली पिता रज्जू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	251	0.050	0.050	0.000	0.000	
142	भूपेन्द्र सिंह पिता धानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	254/2	0.020	0.000	0.020	0.000	
143	भागचंद धनसिंग पिता मिहिलाल रामवती बाई मीनाबाई जयंतीबाई पुत्री मिहिलाल गोराबाई बेवा मिहिलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	255/1	0.040	0.000	0.040	0.000	
144	नन्हेसिंग उमराव सौंग पिस. सुकई पूनाबाई बेवा सुकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	279	0.070	0.000	0.070	0.000	
145	राजेन्द्रसिंग वल्द जनकसिंग रविन्द्रसिंग वल्द रंधीरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	286	0.150	0.150	0.000	0.000	
146	अरविंद सौंग वल्द भरतसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	287	0.130	0.130	0.000	0.000	
147	हरनाम पिता रामसिंह पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामवती पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी भागबाई पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	395/1	0.010	0.000	0.010	0.000	अमरुद-4 रायकरोदा-1 सुलबबूल-1 यूकलिपटिस-2
148	गनु उर्फगनुवा पिता नथुवा पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	396/1	0.020	0.000	0.000	0.020	बेरी-1 जामुन-1 आम-1 अमरुद-2 नीबू-1 मुनगा-1
		भूमिस्वामी	528/1	0.080	0.000	0.080	0.000	बबूल-1

149	मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	397/2	0.020	0.000	0.000	0.020	आम-1 अमरुद-2 मुनगा-1 चिरोल-1 बास-486 सूलबबूल-2 यूकेलिपटिस-3
150	महीप पिता रगवीर लखनसिंग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	399	0.030	0.000	0.000	0.030	आवला-1 जामुन-1 नीबू-1 बेल-2 अमरुद-3 सागोन-1 यूकेलिपटिस-1 सूलबबूल-5
151	राघवेन्द्र धनेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	402	0.010	0.000	0.000	0.010	-
		भूमिस्वामी	411/1	0.020	0.000	0.000	0.020	बेल-1 नीबू-3 अनार-3 आवला-2 अमरुद-6 मुनगा-1 नीम-1 यूकेलिपटिस-3 सूलबबूल-3
152	जनक पिता गजराजसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकुमारी पुत्री गजराजसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकली पुत्री गजराजसिंग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	403	0.020	0.000	0.020	0.000	बेल-1 बेरी-1 अमरुद-1 मुनगा-1 नीबू-1 सागोन-1 सूलबबूल-5
		भूमिस्वामी	436/900	0.030	0.030	0.000	0.000	-
153	मुन्ना पिता सिद्धी पता बन्डा सागर म0 प्र0 1/2 भूमि स्वामी मलखान पुत्र कुन्दन पता बन्डा सागर म0 प्र0 1/20 भूमि स्वामी हेमराज पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म0 प्र0 1/20 भूमि स्वामी माखन पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म0 प्र0 1/20 भूमि स्वामी राशि पुत्री कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर म0 प्र0 1/20 भूमि स्वामी प्यारीबाई बेवा कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर म0 प्र0 1/20 भूमि स्वामी सुक्का पिता दुर्जन पता बन्डा बन्डा सागर म0 प्र0 1/4 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	404	0.030	0.000	0.030	0.000	अमरुद-2 जामुन-1
154	परशोत्तम पिता दुन्डा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	407/2	0.010	0.000	0.010	0.000	
155	दयाली पिता परमू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	615	0.140	0.140	0.000	0.000	
156	गनैश पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	611/3	0.150	0.150	0.000	0.000	
157	राजकुमारी पत्ति राजेन्द्र जाति बघकैया पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	579/2	0.250	0.250	0.000	0.000	
158	रामगोपाल पिता कन्छेदी पता कुल्ल 1/2 भाग भूमि स्वामी करई पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी नीमा पुत्री प्यारे लाल पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी शांति पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी कस्तुरी पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	597/1	0.960	0.960	0.000	0.000	कुआं पक्का-1

159	जगमान पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी लेखराम पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी भरत पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी कल्याण पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी चंदाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी राधाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी प्रेमबाई बेवा देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	713/3	0.220	0.220	0.000	0.000	
160	गुलझारसींग पिता रघुनाथसींग राजकुमारी सन्तो शीला पुत्री रघुनाथ सींग कुसुमबाई बेवा रघुनाथसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	759	0.150	0.150	0.000	0.000	
161	प्रकाश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी काशीराम पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी झलकन पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी राकेश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	774	0.110	0.010	0.000	0.000	
162	बेनीबाई पति करतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	829/1	0.100	0.100	0.000	0.000	
163	शिवराज पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	851/3	0.200	0.200	0.000	0.000	कजी-1 रुसल्ला-1
164	बलराम पिता रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी श्यामरानी बेवा रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री झबू पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी लुडका पुत्री बुद्धा पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी कुंजी पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी जवार पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी नंदलाल पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	804	0.060	0.000	0.060	0.000	
165	टीकाराम पिता भागीरथ पता बन्डा 1/8 भाग भूमि स्वामी मुकेश पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी कमल पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रैनका पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई बेवा भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	396/2	0.010	0.000	0.000	0.010	
		भूमिस्वामी	528/2	0.080	0.000	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	395/2	0.010	0.000	0.000	0.010	सूलबबूल-1
	कुलयोग:-		527	117.810	111.710	5.680	0.280	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		द्वारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब	निवास का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा कबेल/टिनरोड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	304	भरत सिंह पिता रूपसिंह (पत्नि रेखाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी पक्का	37.60	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर उपर टीन सेट	28.20		
				मकान दीवार पत्थर उपर, खपरैल फर्श कच्चा	21.60		
				दहलान दीवार पत्थर उपर बरसाती	14.58		
2				0	0	रूपसिंह पिता बल्लेसींग (पत्नि सूरजबाई)	स्थाई निवास
3				0	0	पुष्पेन्द्र पिता भरतसिंह	स्थाई निवास
4				0	0	वेदू पिता भरतसिंह	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	101.980		
5	अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	304	राजा सिंह पिता रूप सिंह लोधी (पत्नि राधाबाई)	झोपड़ी एक दीवार पत्थर की लकड़ी बरसाती की, गौशाला	19.80	निरंक	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	42.75		
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	22.68		
				दहलान लोहे के पाइप उपर टीन सेट खुला भाग	33.25		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
6				0	0	जयमान पिता राजासिंह	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	119.920		
7	गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/2	मुकेश पिता भागीरथ पटेल (पत्नि बंदना)	मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	27.94	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान लकड़ी की उपर टीनसेट	16.59		
				कुलयोग :-	44.53		
8	गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/2	कमल पिता भागीरथ पटेल (पत्नि गौराबाई)	मकान दीवार ईट पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	11.02	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी उपर खपरैल	15.58		

				उपर की मंजिल खपरैल	15.58		
				दहलान लकड़ी की उपर टीनसेट	16.59		
				कुलयोग :-	58.77		
9	गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/2	भागीरथ पिता नथू पटेल (पत्नि ललताबाई)	मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	35.88	निरंक	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	35.88		
10	गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	396	बल्लू पिता गनू पटेल (पत्नि देवकाबाई)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरैल फर्श पक्का	45.00	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	45.00		
				दहलान दीवार पत्थर की उपर टीनसेट	12.90		
				दहलान दीवार पत्थर की उपर फर्शी	17.10		
				गौशाला दीवार पत्थर की उपर खपरैल	15.39		
				कुलयोग :-	135.39		
11	गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	396	गनू पिता नथू पटेल (पत्नि काशीबाई)	मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	27.00	निरंक	स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर छत टीनसेट फर्श कच्चा	34.58		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	31.85		
				शौचालय सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	94.87		
12	मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/2	नरेश पिता जगदीश ब्राम्हण (पत्नि बंसतीबाई)	मकान दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श पक्का	36.29	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	37.73		
13	मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/2	सरमन पिता जगदीश ब्राम्हण (विमलाबाई)	मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	37.72	निरंक	स्थायी निवास
				जीना पक्का आर.सी. सी.	5.99		
				बाउण्ड्रीवाल पक्का	21.53		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	66.67		
14	मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/2	भोले पिता जगदीश ब्राम्हण (पत्नि सविताबाई)	मकान दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श पक्का	35.67	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	37.11		

15	महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	399	राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण(पत्नि राजकुमारी)मनोज कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद (पत्नि नेहा)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल खपरैल डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल खपरैल दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का जीना पत्थर का गोशाला दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी बाउण्ड्रीवॉल पत्थर की शौचालय छत फर्शी कंक्रीट	75.68 75.68 21.00 21.00 18.00 2.76 23.04 41.25 4.55	निरंक	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	282.96		
16	महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	399	मनीष कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद (पत्नि रागनी)	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच फर्शी गाटर छत टीनसेट फर्श पक्का उपर की मंजिल टीनसेट मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	28.35 28.35 25.11	निरंक	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	81.81		
17	महीप पिता रघुवीर बगैरह	399	उदम पिता निरन सिंह (पत्नि पार्वती)	शौचालय छत फर्शी	1.44	निरंक	शौचालय है
				कुलयोग :-	1.44		
18	महीप पिता रघुवीर बगैरह	399	बृजेश पिता मेहताप सिंह	शौचालय छत सीमेट सीट	1.44	निरंक	शौचालय है
				कुलयोग :-	1.44		
19	गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह	401	विनोद पिता हरिशंकर नामदेव	मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	29.82	निरंक	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	29.82		
20	गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह	401	अरविन्द्र पिता हरीशंकर नामदेव (पत्नि राजकुमारी)	मकान दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पत्थर का	28.98	निरंक	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	28.98		

21	गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह	401	कृष्णा बाई पति मन्नुलाल नामदेव	झोपडी दीवार पत्थर की उपर बरसाती घास-फूस गौशाला	10.320	निरंक	निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	10.32		
22	गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह	401	रामप्रसाद पिता नत्थू नामदेव (द्रोपती)	मकान दीवार ईट छत खपरैल फर्श फर्शी निवास	16.80	निरंक	स्थायी निवास
				भूसा घर दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	21.60		
				शौचालय दीवार ईट की छत फर्शी	2.10		
				दहलान दीवार ईट फर्श फर्शी छत लकड़ी बरसाती	16.80		
				कुलयोग :-	57.30		
23	राघवेन्द्र धर्मेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	402	राघवेन्द्र पिता हल्काई सेन (पत्नि रजनी)	डबल भंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	40.74	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की भंजिल	40.74		
				दहलान बन्द दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी कांक्रिट नहीं फर्श पक्का	29.10		
				मकान दीवार ईट की बिना प्लास्टर छत आर. सी.सी. फर्श कच्चा	34.88		
				शौचालय छत फर्शी	1.44		
24				0	0	धर्मेन्द्र पिता हल्काई	स्थायी निवास
25				0	0	जितेन्द्र पिता हल्काई	स्थायी निवास
26				0	0	सुनील पिता हल्काई	स्थायी निवास
27				0	0	गीता पति हल्काई	स्थायी निवास
				कुलयोग :-	146.90		
28	राघवेन्द्र धर्मेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411/1	द्रोपती बाई बेवा खुमान सिंह	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	46.20	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान बन्द दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	35.70		
			देवी सिंह पिता खुमान सिंह लोधी (पत्नि लक्ष्मी)	गौशाला लकड़ी के उपर दीनसेट	17.10		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	100.44		
29	गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	405/1	गोपी सिंह पिता ठाकुरदास	शौचालय	1.44	निरंक	निवास - हेतु उपयोग नहीं
				कुलयोग :-	1.44		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

4(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

- (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी तहसील बण्डा एवं पिथौली तहसील मालथौन की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-मनावर,
जिला, धार मध्यप्रदेश**

पत्र क्र.-490-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

मनावर, दिनांक 2 मार्च 2023

**प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/भू-अर्जन/री-1/2022, मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेंट पाईपलाईन जल परिवहन हेतु ग्राम-भूतिया, प.ह.न.-01, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-भूतिया, प.ह.न.-01,	291	0.012
कुल योग			01	0.012

पत्र क्र.-493-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/भू-अर्जन/री-1/2022, मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक-4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	410	0.091
			416	0.056
			417/3	0.065
			417/4	0.060
			385/1	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	385/2	0.128
			418	0.045
			417/2	0.058
			417/5	0.023
			394/3	0.005
			393	0.010
			392/3	0.013
			392/4	0.042
			392/1	0.025
			392/2	0.006
			391/2/2	0.038
			388/1	0.050
			382/2	0.016
			381/1/2	0.043
			130/2/4	0.018
			130/2/3	0.016
			122/2/2	0.075
			122/2/1	0.055
			122/1/1/1/1/1	0.005
			122/1/1/2	0.034
			122/1/1/1/1/2	0.031
			120	0.005
			119	0.008
			117/1	0.073
			107	0.010
			117/2	0.005
			106	0.050
			104/3	0.030
धार	गंधवानी	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	63/2	0.061
			102/1	0.028
			95	0.026
			94	0.050
			73	0.068
			67	0.080
कुल योग			39	1.515

पत्र क्र.-496-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/भू-अर्जन/री-1/2022, मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04,	96/2	0.005
			100/5	0.013
			101/5	0.008
			100/1	0.025
			102/1	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—बीड़ भोपाव, प.ह.नं.—04,	113/5	0.026
			102/2	0.010
			99/8	0.003
			101/4	0.010
			99/3	0.025
			109/2	0.049
			109/12/1	0.043
			109/7	0.025
			109/8	0.010
			118/1	0.018
			118/2	0.032
			117/1	0.035
			117/2	0.018
			116/3	0.008
			115/1	0.033
			113/22/2	0.018
			113/29	0.033
			113/21	0.015
			113/9/1	0.018
कुल योग			24	0.499

पत्र क्र.-499-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2540/भू-अर्जन/री-1/2022, मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रम्य हारुस कमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—जामदा, प.ह.न.—03,	231/1	0.065
			231/2	0.035
			157	0.045
			155/2/2	0.004
			155/1/2	0.044
धार	गंधवानी	ग्राम—जामदा, प.ह.न.—03,	155/1/1	0.044
			154	0.030
			146/1	0.066
			142/1	0.020
			131/1	0.058
			116	0.018
			115/2	0.025
			131/3	0.076
			113	0.015
	114	0.054		
कुल योग			15	0.599

पत्र क्र.-502-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/भू-अर्जन/री-1/2022, मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	123/8	0.043
			103/1	0.120
			109/1	0.021
			109/3/1	0.011
			115/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	109/3/2	0.011
			109/2	0.034
			114/1	0.062
			108/2/4/2	0.018
			115/2/2	0.060
			117/2/2	0.040
			100/2	0.009
			98	0.067
			97	0.066
			167/1	0.004
			91	0.025
			165	0.012
			166	0.021
			193	0.015
			192	0.033
			191	0.018
			200/1	0.033
			204/2	0.011
			200/2	0.013
			201	0.004
			202/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	202/3	0.004
			199	0.030
			205/2	0.006
			204/1	0.028
			205/1	0.015
			205/7	0.015
			222/1/1/1	0.018
			222/1/2	0.012
			222/2/1/2	0.018
			227/3/2	0.004
			222/2/1/3	0.018
			227/1/3	0.009
			222/2/1/4	0.028
			227/1/4	0.005
			222/2/1/5	0.028
			227/3/1	0.017
227/1/6	0.009			
कुल योग			43	1.022

भूपेन्द्र रावत, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) झाबुआ,
जिला, झाबुआ मध्यप्रदेश**

पत्र क्र.-737-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-149-ब-121-2022-23

झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— सातबिल्ली, प.ह.नं.— 71,	139	0.030
			138/2	0.060
			135	0.032
			129	0.023
			127	0.070
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— सातबिल्ली, प.ह.नं.— 71,	30	0.035
			29	0.020
			27	0.010
			12	0.010
			11	0.020
			10	0.060
			3	0.050
कुल योग			12	0.420

पत्र क्र.-742-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-150-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82,	530	0.005
			529	0.030
			494	0.043
			495	0.013
			493	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.—82,	489/2	0.025
			490	0.043
			485/1	0.023
			444	0.023
			442/4	0.005
			442/3	0.020
			442/2	0.005
			451	0.038
			452	0.008
			436/3	0.033
			436/2	0.038
			236/2	0.005
			436/1	0.021
			435/1	0.038
			435/2	0.008
			24	0.033
			23	0.025
			9	0.009
			22	0.028
कुल योग			24	0.527

पत्र क्र.-747-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-151-ब-121-2022-23

प्रारूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88,	417	0.061
			416	0.045
			415/1	0.045
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88,	415/2	0.035
			385	0.015
			376	0.010
कुल योग			06	0.211

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93,	374	0.035
			255	0.018
			256	0.010
			216	0.040
			371	0.020
			254	0.020
			215	0.020
			214	0.070
			212/3	0.005
			205	0.018
			158/3	0.010
			158/2	0.010
			158/1	0.010
			155/3	0.020
			154/3	0.005
			156	0.008
			143/1	0.060
			155/4	0.010
			154/2	0.015
			154/1	0.015
			153/2	0.060
			143/2	0.030
			142/1	0.030
कुल योग			28	0.649

पत्र क्र.-752-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-152-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93,	394	0.030
			402/1	0.010
			401/3	0.030
			403/2	0.010
			403/1	0.030

पत्र क्र.-757-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-153-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एन.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भमरदा, प.ह.न.-84, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-भमरदा, प.ह.न.-84,	512/1	0.005
			513	0.028
			514/1	0.023
			489	0.040
			493	0.005
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-भमरदा, प.ह.न.-84,	494	0.025
			495	0.026
			393	0.030
			389	0.010
			390/3	0.025
			387/3	0.025
			385	0.010
			384	0.005
			383	0.020
			380/2	0.003
कुल योग			15	0.280

पत्र क्र.-762-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-154-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर भाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कल्याणपुरा, प.ह.न.-83, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- कल्याणपुरा, प.ह.न.-83,	564	0.060
			565	0.070
			586	0.068
			619/1	0.020
			619/2	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— कल्याणपुरा, प.ह.न.—83,	632	0.003
			631	0.035
			636	0.020
			635	0.005
			637	0.043
			638	0.010
			646/2	0.058
			646/1	0.080
			694	0.030
			696	0.015
			783/2/1	0.010
			783/4	0.005
			767/1	0.008
			766/4	0.010
			762/1	0.010
			766/5	0.005
			762/3	0.008
			766/3	0.010
			762/2	0.005
			766/2	0.005
			769/2	0.005
			762/5	0.008
			769/1	0.005
			770	0.015
			765	0.003
			762/6	0.008
			762/4	0.008
			757	0.075
			744/5	0.010
			744/8/1	0.040
			744/7	0.040
			749	0.005
			266/1	0.020
			244	0.040
			245/1	0.035
			246/1	0.034
			247/2	0.060
			175/2/2	0.017
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— कल्याणपुरा, प.ह.न.—83,	170/1	0.014
			170/2	0.050
			160/2	0.054
			152/2	0.030
			152/1	0.018
			151	0.030
कुल योग			49	1.247

पत्र क्र.-767-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-155-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79,	914/2	0.015
			915/4	0.003
			915/3	0.020
			916/3	0.020
			915/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.— 79,	829/1	0.010
			826	0.024
			825	0.020
			824/1	0.015
			735	0.005
			736/8	0.020
			736/5	0.030
			736/2	0.030
			594/2	0.028
			725/2	0.010
			723	0.010
			722	0.005
			593/2	0.018
			594/3	0.020
			595	0.054
			600/5	0.040
			623/2	0.060
			621	0.010
			622	0.020
			617	0.090
कुल योग			25	0.587

पत्र क्र.-772-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-156-ब-121-2022-23

प्रारूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,	652	0.055
			650/1	0.011
			644/1	0.019
			647	0.017
			646	0.029
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,	635	0.030
			640	0.020
			638	0.010
			624	0.028
			622	0.038
			616	0.063
			615	0.015
			567	0.056
कुल योग			13	0.391

पत्र क्र.-777-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-157-ब-121-2022-23

प्रारूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नरवालिया, प.ह.न.-72, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— नरवालिया, प.ह.न.—72,	367/3	0.018
			365/5	0.033
			365/3	0.026
			365/2	0.024
			365/1	0.021
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— नरवालिया, प.ह.न.—72,	361/2	0.010
			334/6	0.010
			334/5	0.025
			334/7	0.004
			334/8	0.022
			255	0.033
			250	0.080
			121/1	0.018
			121/2	0.010
			124	0.040
			123	0.004
			125	0.010
			126	0.010
			129	0.009
			153	0.020
			130	0.008
			152	0.015
			151/2	0.005
कुल योग			23	0.455

पत्र क्र.-782-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-158-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-झरनिया, प.ह.न.-72, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— झरनिया, प.ह.न.—72,	247/1	0.051
			166	0.038
			162	0.018
			161/2	0.010
			173/1	0.010
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— झरनिया, प.ह.न.—72,	161/1	0.010
			172	0.030
			160/1	0.010
			175	0.025
			121/6	0.014
			121/8	0.008
			121/7	0.008
			121/9	0.019
			121/5	0.004
			122/3	0.016
			122/4	0.012
			123	0.025
			115	0.008
			77	0.035
			76	0.083
कुल योग			20	0.434

पत्र क्र.-787-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-159-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर नाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम — खेरमाल प.ह.न. 92	250	0.025
			249	0.005
			242/2	0.030
			242/1	0.048
कुल योग			04	0.108

पत्र क्र.-792-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-160-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— एजनपुरा, प.ह.नं.— 79,	46	0.008
			54	0.042
			55	0.023
			56	0.010
			74	0.029
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— एजनपुरा, प.ह.नं.— 79,	76/2	0.090
			96	0.016
			84/2	0.016
			83/4	0.010
			83/9	0.010
			83/8	0.003
			83/10	0.005
			83/7	0.020
			83/6	0.018
			83/5	0.014
			83/1	0.005
कुल योग			16	0.319

पत्र क्र.-797-सी-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-161-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 एवं उसकी सब माईनर पाईप नहर क्रमांक- एल.एस.एम.-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डेबर, प.ह.नं.- 71, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— डेबर, प.ह.नं.— 71,	1560	0.056
			1540	0.011
			1535/1	0.022
			1534	0.020
			1533	0.044
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— डेबर, प.ह.नं.— 71,	1526	0.020
			1527	0.033
			1519/1	0.043
			1480	0.010
			1479	0.005
			1476	0.011
कुल योग			11	0.275

पत्र क्र.-802-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-162-ब-121-2022-23

प्ररूप- 'ख'

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम—गोपालपुरा, प.ह.न.—81,	150/6	0.018
			27	0.013
			21/1	0.010
			21/2/2	0.041
			22	0.027
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम—गोपालपुरा, प.ह.न.—81,	23	0.028
			18	0.017
			150/3	0.025
			150/2	0.025
			135/1	0.018
			136/1/1	0.005
			132/1	0.015
			132/2	0.015
			132/3	0.005
			45/4/1	0.010
			45/4/2	0.013
			45/4/3	0.008
			126	0.042
			50	0.060
9/1	0.040			
कुल योग			20	0.435

पत्र क्र.-807-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-163-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर नाईक्रो उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88,	330	0.023
			333/1	0.020
			329	0.010
			336	0.025
			337	0.030
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88,	348	0.105
			355/5	0.020
			356	0.008
			452/1	0.038
			451	0.047
			450/1	0.090
			448	0.040
			447	0.030
			446/2	0.018
			446/1	0.018
कुल योग			15	0.522

पत्र क्र.-812-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-164-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर नाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89,	568	0.020
			567	0.035
			563	0.010
			560	0.040
			552	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— सन्दला, प.ह.नं.—89,	565	0.043
			564/2	0.013
			554/2	0.028
			564/1	0.030
			554/1	0.020
			551/5	0.010
			546/5	0.010
			551/4	0.002
			551/3	0.010
			547	0.020
			548/1/1	0.005
			542/2	0.010
			540/5	0.010
			540/10	0.015
			540/7	0.010
			540/6	0.010
			538/1	0.013
			540/2	0.005
			540/4	0.010
			540/3	0.010
			535/3	0.010
			535/2	0.015
			536	0.020
			534	0.020
			532	0.005
			452/2	0.015
			452/1	0.015
			451/2	0.020
			451/1	0.014
			450/1	0.008
कुल योग			35	0.539

पत्र क्र.-818-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-165-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम — आमलीपठार प.ह.न. 85	420/5	0.013
			420/4	0.011
			406	0.013
			408	0.050
			403	0.030
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम — आमलीपठार प.ह.न. 85	402	0.033
			393	0.050
			394	0.020
			397	0.003
			396	0.008
कुल योग			10	0.231

पत्र क्र.-823-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-166-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92	432/2	0.010
			428/1	0.060
			432/1	0.038
			433	0.030
			425	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम – तलावनी प.ह.न. 92	429	0.003
			339/6	0.003
			338/3	0.025
			331/2	0.026
			330/4	0.024
			275	0.010
			276/5	0.020
			276/3	0.005
			276/6	0.010
			276/2	0.018
			284	0.046
			229/4	0.019
			229/1	0.018
			231/2	0.036
			229/3	0.003
			231/1	0.020
			230/1	0.008
			234	0.025
			227	0.019
			223/1	0.033
			222/1	0.017
			221/4	0.060
			219	0.021
			58/2	0.003
			364	0.023
			55	0.045
			53	0.026
			58/1	0.035
			76	0.025
			87/2	0.004
			38/3	0.020
			38/2	0.013
			38/1	0.020
			27	0.023
			26	0.019
			25	0.013
			23	0.055
			15/2	0.040
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम – तलावनी प.ह.न. 92	17	0.030
			6/4	0.027
			6/2	0.033
			6/5	0.019
			6/6	0.023
			6/3	0.026
कुल योग			49	1.149

पत्र क्र.-150-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-39-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.- 58/74, रा.नि.सं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम- बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.- 58 / 74,	265	0.007
			266	0.049
			125/1	0.033
			125/3	0.008
			125/2	0.020
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम- बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.- 58 / 74,	123/1	0.037
			84/6	0.031
			84/3	0.031
			84/.2	0.005
			87/2	0.033
			87/1	0.046
			75/14	0.016
कुल योग			12	0.316

पत्र क्र.-155-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-38-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-47, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-47,	168	0.005
			158	0.025
			52	0.045
			41/9	0.012
			41/8	0.014
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-47,	41/6	0.018
			41/1	0.007
			40	0.007
			38	0.050
कुल योग			09	0.183

पत्र क्र.-160-सी-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-37-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खालखंडवी, प.ह.न.-59/79, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-खालखंडवी, प.ह.न.-59/79	208/3	0.014
			208/4	0.020
			208/5	0.014
			211	0.040
			214/1	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-खालखंडवी, प.ह.न.-59/79	214/2	0.022
			214/3	0.012
			217	0.013
			244	0.018
			246	0.019
			183	0.010
			168	0.074
			167/10	0.005
			167/9	0.007
			167/8	0.006
			167/7	0.005
			167/6	0.008
			169	0.004
			173	0.043
			162/1	0.030
			162/5	0.034
			157/2	0.014
			162/4	0.002
			159	0.024
			158/1	0.036
			155/1	0.030
			141	0.009
			158/2	0.024
			154	0.055
			37/1/1	0.048
			37/2	0.030
कुल योग			31	0.696

पत्र क्र.-165-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-36-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एन.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-50/70, रा.नि.मं.-02, नौगावा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-50/70,	224/11	0.018
			224/3	0.008
			224/9	0.006
			224/2	0.005
			224/8	0.008
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-50/70,	224/6	0.009
			224/7	0.011
			224/5	0.009
			223/2	0.023
			204/4	0.030
			204/5	0.024
			193	0.020
			186/2	0.046
			195/2	0.037
			195/1	0.028
कुल योग			16	0.296

पत्र क्र.-170-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-35-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गडवाड़ा, प.ह.न.-47, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—गडवाड़ा, प.ह.न.—47,	448	0.018
			443	0.008
			440/4	0.040
			439/4	0.015
			439/5	0.009
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—गडवाड़ा, प.ह.न.—47,	439/6	0.012
			302	0.010
			299	0.036
			297/1	0.010
			287/4	0.066
			287/3	0.031
			258	0.076
			250	0.028
			251	0.002
			248/1	0.083
			240/4	0.032
			243	0.042
कुल योग			17	0.518

पत्र क्र.-175-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-31-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चेनपुरा, प.ह.न.-52/72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम- चेनपुरा, प.ह.न. -52/72,	201/6	0.014
			201/7	0.039
			197	0.020
			145	0.158
			190	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम— चेनपुरा, प.ह.न. —52/72,	163	0.029
			161	0.085
			158/1	0.029
			155	0.023
			276	0.026
			275/2	0.030
			278/2	0.027
			41/2	0.033
			41/1	0.006
			283/8	0.010
			283/3	0.019
			317	0.014
			283/7	0.016
			283/11	0.016
			283/10	0.006
			283/5	0.014
			283/2	0.015
			195	0.030
			194	0.040
			191	0.005
			205/10	0.025
			205/11	0.038
			215	0.062
			220/1	0.074
			222/1	0.073
			227/1	0.040
			229	0.018
			230/1	0.028
			230/2	0.023
			231	0.009
कुल योग			35	1.105

पत्र क्र.-180-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-30-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-शिवगढ़, प.ह.न.-53/73, रा.नि.मं.-02, नौगावा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी. हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-शिवगढ़, प.ह.न. —53 / 73,	267/2	0.016
			267/1	0.014
			261/3	0.010
			261/2	0.043
			197	0.010
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-शिवगढ़, प.ह.न. —53 / 73,	201	0.020
			198	0.023
			149	0.005
			150	0.043
			158/2	0.006
			159	0.006
			160	0.004
			163	0.045
कुल योग			13	0.245

पत्र क्र.-185-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-34-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमलिया, प.ह.नं.-62/82, रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—सेमलिया, प.ह.नं. —62 / 82,	28	0.041
			26	0.085
			59	0.003
			24/4	0.012
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—सेमलिया, प.ह.नं. —62 / 82,	24/1	0.006
			24/3	0.013
			25/1	0.004
			24/2	0.047
कुल योग			08	0.211

पत्र क्र.-190-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-33-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पंचपीपलिया, प.ह.नं.- 56/77, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम- पंचपीपलिया, प.ह.नं.- 56/77,	264/4	0.025
			264/3	0.008
			264/1	0.015
			264/2	0.015
			266	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम— पंचपीपलिया, प.ह.नं.— 56/77,	271/2	0.010
			271/1	0.013
			274/1	0.025
			274/2	0.029
			275	0.008
			277/2	0.018
			277/3	0.034
			287	0.047
			290/3	0.048
			290/2	0.029
			201/2	0.030
			290/1	0.063
			209/4	0.016
			295	0.004
			296	0.014
			203	0.014
			204	0.015
			205	0.003
			202	0.040
			200	0.016
			199	0.050
कुल योग			26	0.612

पत्र क्र.-200-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-32-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-महुड़ा, प.ह.न.-53/73, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम- महुड़ा, प.ह.न. -53/73,	480	0.057
			481	0.037
			483	0.038
			446/3	0.005
			442/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम— महुड़ा, प.ह.न. —53/73,	446/2	0.028
			442/1	0.010
			447/20	0.004
			443/2	0.023
			441	0.020
			442/3	0.010
			435/4	0.025
			435/2	0.008
			435/3	0.009
			435/1	0.013
			429	0.015
			355/2	0.035
			383	0.038
			382/2	0.045
			380	0.019
			372	0.048
			355/1	0.024
			287/1	0.026
			289	0.015
			290	0.068
कुल योग			25	0.630

पत्र क्र.-195-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-29-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/80, रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—मालखण्डवी, प.ह.नं.—60 / 80,	392	0.040
			391/2	0.024
			108	0.021
			107	0.044
			105	0.040
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—माल खण्डवी, प.ह.नं. —60 / 80,	103	0.025
			99	0.038
			90	0.018
			95	0.020
			94	0.020
			91	0.002
			86/4	0.014
			86/3	0.030
			84	0.019
			83	0.016
			81/4	0.005
			81/3	0.005
			81/2	0.006
			81/1	0.006
कुल योग			19	0.393

पत्र क्र.-205-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-28-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 एवं आर.एम.-11 की बौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम.-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-देदला, प.ह.न.-62/82, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-देदला, प.ह.न. -62/82,	356/7	0.004
			356/8	0.018
			357/1	0.048
			364	0.015
			366/12	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-देदला, प.ह.न. -62/82,	366/10	0.038
			366/6	0.016
			366/9	0.012
			257/1	0.020
			257/2	0.012
			257/3	0.014
			257/4	0.036
			255/1	0.060
			256	0.010
			263/1	0.014
			183/1	0.014
			194	0.020
			196/1	0.014
			180/1	0.018
			182/1	0.016
			180/2	0.030
			140/7	0.020
			138/2	0.038
			138/1	0.038
			131	0.019
			257/6	0.034
			250/1	0.014
			250/2	0.022
			250/3	0.018
			243	0.018
			242/1	0.010
			239	0.010
			240	0.022
			232	0.034
			224	0.022
			223	0.025
			230	0.002
कुल योग			37	0.791

पत्र क्र.-210-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-27-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 व डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-हत्यादेली, प.ह.न.-48, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-हत्यादेली, प.ह.न.-48,	351	0.022
			181	0.030
			353	0.034
			352	0.024
			340	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-हत्यादेली, प.ह.न.-48,	296	0.044
			342/1	0.022
			292	0.067
			291	0.020
			290/1	0.010
			290/2	0.027
			374/4	0.018
			374/3	0.010
			374/2	0.010
			374/1	0.042
			630	0.032
			632	0.008
			631	0.012
			628	0.013
			654/3	0.035
			655	0.012
			634/4	0.020
			687/1/6	0.012
			626	0.008
			625	0.009
			622/2	0.015
			654/2	0.011
			674/2	0.051
			673/5	0.042
			687/3	0.016
			687/12	0.016
			690/1	0.060
			748/2	0.046
			747/1	0.008
			746	0.028
			747/2	0.023
			747/3	0.002
			854/2	0.028
			850/1	0.012
			836	0.034
			835	0.018
			834	0.016
			833	0.023
			831/12	0.048
			823/12	0.020
			823/14	0.018
			813/11	0.012
			813/10	0.008
			813/5	0.016
			813/1	0.040
			809	0.030
			815/1	0.030
			808	0.040
कुल योग			53	1.268

पत्र क्र.-215-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-26-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तलावली, प.ह.न.-24/67, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-तलावली, प.ह.न. -24/67,	1531/1	0.043
			1334	0.023
			1332	0.013
कुल योग			03	0.079

पत्र क्र.-220-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-25-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर एवं उसकी दोंयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न.-25/68, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न. —25/68,	419/1	0.006
			422	0.010
			423/1	0.004
			418	0.036
			428	0.036
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न. —25/68,	166/1	0.039
			163	0.036
			65	0.018
			158/1	0.020
			145/3	0.039
			162	0.005
			159/2	0.015
			159/1	0.028
			143	0.034
			134/1	0.005
			145/4	0.011
			145/7	0.005
			144	0.033
कुल योग			18	0.380

पत्र क्र.-245-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-24-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-4 पाईप नहर की दौयी और की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-जामदा, प.ह.न.-55/76, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—जामदा, प.ह.न. —55/76,	126	0.082
			123/1	0.011
			118/2	0.029
			123/2	0.018
			118/3	0.035
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—जामदा, प.ह.न. —55/76,	123/3	0.018
			117	0.002
			135	0.028
			109	0.026
			108/2	0.024
			108/4	0.014
			108/3	0.028
			149/1	0.042
			149/3	0.028
			186/2	0.013
			181/7	0.001
			184	0.012
			182	0.010
कुल योग			18	0.421

पत्र क्र.-225-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-43-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दौयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-राजपुरा, प.ह.न.-51/71, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-राजपुरा, प.ह.न. -51/71,	120/19	0.004
			120/18	0.026
			120/17	0.022
			120/16	0.010
			113/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-राजपुरा, प.ह.न. -51/71,	113/1	0.006
			112/8	0.013
			112/3	0.004
			112/7	0.014
			112/6	0.014
			112/4	0.009
			132/1	0.027
			131	0.006
			135	0.003
			136/4	0.015
			136/3	0.013
			136/2	0.038
			136/1	0.010
			141	0.029
			63	0.045
			56/20	0.009
			56/16	0.008
			56/19	0.008
			56/14	0.014
			56/18	0.008
			56/17	0.012
			56/13	0.026
			34/1	0.013
			36/2	0.022
			35	0.024
			40	0.006
			31/3	0.012
			31/2	0.008
			31/1	0.008
			38	0.020
			29/5	0.034
			29/3	0.053
			24/2	0.135
			22	0.114
25	0.018			
26/1	0.012			
263	0.005			
265/15	0.015			
265/14	0.016			
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-राजपुरा, प.ह.न. -51/71	297	0.035
			265/13	0.016
			262	0.039
			246/15	0.011
			246/14	0.022
			246/20	0.030
			246/4	0.016
			246/3	0.018
			248/1	0.008
			331	0.010
			246/9	0.004
			246/21	0.039
			248/2	0.017
			315	0.054
कुल योग			58	1.237

पत्र क्र.-230-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-42-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 तथा बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नौगांवा, प.ह.न.-49/69, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नौगांवा, प.ह.न. -49/69	1860	0.033
			1858	0.040
			1855/2	0.035
			1855/1	0.038
			1356	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नौगांवा, प.ह.न. -49/69	1360	0.039
			1355	0.010
			1365	0.015
			1361	0.030
			1362/3	0.010
			1242/5	0.002
			1362/2	0.006
			1363	0.013
			1226	0.007
			1213/1	0.004
			1214/3	0.017
			1216/3/1	0.003
			1218/3	0.008
			1214/2	0.007
			1216/2	0.003
			1218/2	0.008
			1215/1	0.014
			1216/4	0.003
			1216/1	0.003
			1217/1	0.022
			1218/1	0.006
			1220	0.018
			1222	0.004
			1223	0.006
			1227	0.006
			1228	0.005
			1229	0.004
			1263/1	0.020
			1264/3	0.019
			1260	0.029
			987/2/4	0.009
			988/1	0.028
			988/2	0.025
			991	0.014
			993	0.008
			994	0.008
			996	0.037
			758/1	0.049
			1009	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नौगांवा, प.ह.न. -49/69	741	0.022
			929/2	0.034
			769	0.021
			768	0.036
			767	0.017
			766	0.009
			765	0.007
			764	0.005
			763	0.005
			761/2/2	0.008
			762	0.006
			760	0.007
			757/1	0.026
			756/2	0.008
			756/1	0.020
			754	0.053
			748	0.024
			747/4	0.004
			742/2	0.011
			742/1	0.022
			1397	0.013
			1394	0.003
			1398	0.029
			1393	0.010
			1392	0.015
			1391	0.005
			1390	0.018
			1412	0.043
			1409	0.018
			668	0.026
			669	0.017
			655	0.017
			652/5	0.022
			651	0.029
652/1	0.061			
647	0.079			
640/2	0.023			
638/2	0.030			
638/1	0.011			
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-नौगांवा, प.ह.न. -49/69	637	0.034
			635/1	0.019
			635/2	0.010
			635/3	0.010
			635/4	0.010
कुल योग			88	1.642

पत्र क्र.-235-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-41-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दांयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-जरात, प.ह.न.-52/72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—जरात, प.ह.न. —52/72,	153/1/3	0.010
			153/1/2	0.024
			153/3/1	0.010
			153/1/1	0.004
			152/3/2	0.004
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम—जरात, प.ह.न. —52/72,	153/2/1	0.020
			153/5	0.022
			236/1	0.007
			153/6	0.022
			153/7	0.023
			238/1	0.032
			153/8	0.006
कुल योग			12	0.184

पत्र क्र.-240-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-40-ब-121-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अगराल, प.ह.न.-46, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-अगराल, प.ह.न.-46,	459	0.109
			458	0.019
			457	0.029
			451	0.008
			448	0.079
झाबुआ	मेघनगर	ग्राम-अगराल, प.ह.न.-46,	446	0.016
			435	0.025
			447	0.014
			444/1	0.025
			420	0.061
			331	0.015
कुल योग			11	0.400

अंकिता प्रजापति, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला, खरगोन मध्यप्रदेश

क्र.-842-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0485-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 21 फरवरी 2023

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 174/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-विंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-132 में जल परिवहन हेतु ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.-65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं. -65/109	221/1	0.050
			220	0.040
			225/3	0.005
			225/438/1	0.085
			227/1	0.060
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं. -65/109	227/2	0.040
			227/3	0.035
			240/3	0.012
			240/4	0.018
			240/5	0.016
			240/7	0.006
			240/6	0.050
			253/3	0.016
			254/1/2	0.023
कुल योग			14	0.456

क्र.-844-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0486-ब-121-2022-23

प्रारूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 189/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-07 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— निमखेड़ी प.ह.नं.—53,	56/2	0.013
			66	0.010
		कुल योग		02

क्र.-846-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0489-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सेन 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 244/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत साईजिंगभेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03, 08 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37,	1/1	0.065
			1/2	0.060
			1/3	0.040
			1/4	0.070
			1/5	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— बंझर, प.ह.नं.—37,	4/1	0.025
			7/4	0.100
			4/2	0.100
			4/3/1	
			4/3/2	
			4/4	
			43/3	0.060
			44/3/1	0.040
			46/18	0.025
			9/4	0.030
			25/19	0.035
			7/2	0.005
			46/19	0.035
			48/3	0.215
			49/5	
			47/1	0.040
			109	0.015
			110/1	0.205
			38	0.020
			104/4	0.020
			111/4	0.060
			111/3	0.070
			148/4	0.025
			146	0.070
			155	
			154/2	0.025
			158/1	0.030
			158/2	0.030
			160	0.030
			162/1	0.060
			9/2	0.040
			25/17	0.020
			25/6	0.095
			303/1/1	0.045
			298/6	0.050
			302/1	0.013
			307/1	0.030
			302/2	0.048
			303/3	0.030
			304/6	
			319/3	0.020
			319/1	0.020
			319/2	0.080
			324/1/1	0.180
			326	
			328	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37,	444	0.025
			445/1/1	0.010
			393	0.025
			436/1/1	0.035
			436/4	0.040
			436/5	0.025
			436/6	0.070
			436/7	0.060
			433/1/1	0.060
			433/4	0.065
			433/2	0.130
			589/4	0.015
			589/1	0.070
			327/1	0.065
			399	0.050
			394	0.020
			9/3	0.025
			10/7	0.040
			31/3	0.030
			31/2	0.030
			31/1	0.025
			30/4	0.020
			30/2	0.025
			30/1	0.010
			28/2	0.030
			28/4	0.055
			28/3/2	0.060
			28/3/3	0.025
			28/3/1	0.025
			298/5	0.014
			391	0.020
			389	0.020
			390/1	0.005
			388	0.030
			387/1	0.030
			385	0.060
			106/7	0.035
			92/1	0.060
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37,	109	0.040
			110/2	0.050
			154/1	0.040
			159/2	0.050
			25/18	0.010
			25/19	0.020
			440/1	0.030
			441/1	
कुल योग			88	3.975

क्र.-848-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0499-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 169/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03, भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— 14/93	13	0.034
			12	0.004
			46/8	0.083
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— 14/93	46/4	0.011
			46/7	0.003
			44/3	0.166
कुल योग			06	0.301

क्र.-850-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0484-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 176/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-विजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110	4/4	0.088
			5	
			6	0.032
			41	0.040
			9	0.110
			42	0.075
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110	43/2	0.062
			44/1	0.051
			44/2	0.050
			115	
			45/1/1	0.012
			47/1/1	
			47/5/1	0.029
			45/1/2	0.012
			47/5/2	0.040
			45/2	0.024
			47/4	0.022
			46	0.049
कुल योग			15	0.696

क्र.-854-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-050-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 181/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 में जल परिवहन हेतु ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	216/1	0.050
			216/3	0.066
			169/1	0.125
			169/7	0.050
			169/2/2/2	0.020
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	169/2/4/1	0.045
			169/2/3/1	0.040
			169/2/1	0.035
			169/13	0.094
			197	0.068
			210/1	0.088
			211/1/2	0.025
			236/2/2	0.038
			229/4	0.050
			229/5	0.025
			230/2/1	0.008
कुल योग			16	0.827

क्र.-856-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0483-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 212/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 08.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच साईनर पाईप नहर क्रमांक-289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41,	106	0.033
			107	0.020
			189	0.054
			188	0.044
			178	0.084
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41,	177	0.078
			175	0.022
			278	0.022
			408	0.002
			403	0.021
			401	0.069
			399	0.019
			398/1	0.035
			398/2	0.022
कुल योग			14	0.525

क्र.-858-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0476-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 161/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-11 व 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03, भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि . (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,	41/1/2	0.049
			24/1/1	0.030
			38/1	0.066
			38/2	0.042
			29/2	0.057

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— खेरदा, प.ह.नं.— 14/93,	29/8	0.057
			29/3	0.032
			69/3	0.012
			72	0.042
			73	0.033
			81/1	0.021
			81/2	0.081
			82/1/1	0.023
			82/1/2	0.022
			82/3	0.033
			83	0.010
			84/2/1	0.024
			84/2/2	0.020
			84/1	0.016
			121/4	0.062
119/3	0.020			
कुल योग			21	0.752

क्र.-860-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0477-ब-121-2022-23

प्ररूप-"घ"
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 172/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 16 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सस्याखेड़ी प.ह.नं.— 58	76/7	0.030
			76/6	0.088
			78	0.050
			80/4	0.030
			81	0.080
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सस्याखेड़ी प.ह.नं.— 58,	80/3	0.056
			82/1	0.040
			83/3	0.020
			80/2/2	0.048
			80/1	0.075
			82/4	0.095
			83/1	0.040
			69/12	0.054
कुल योग			13	0.706

क्र.-862-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0498-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 238/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03, 73 व 184 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 95, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सिराली प.ह.नं.- 95,	23	0.005
			29/2/1	0.010
			30	0.056
			24/1	0.073
			29/1	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सिराली प.ह.नं.- 95,	29/2/2	0.010
			24/2	0.036
			29/3	0.014
			51/2	0.017
			51/5	0.012
			264/3	0.028
			51/7	0.027
			264/5	0.020
			52/2	0.025
			51/3	0.016
			52/1	0.032
			51/4	0.024
			264/2	0.015
			51/8	0.028
			264/6	0.114
			51/6	0.024
			264/4	0.024
			52/3	0.028
			264/9	0.114
			232/2/2	0.024
			224	0.016
			225	0.048
			232/1/1	0.068
			233	0.080
			234	0.053
			230	0.032
			215	0.008
			136	0.012
			147	0.003
			144	0.011
			143/1	0.007
			142/2	0.012
			143/2	0.014
			142/1	0.032
			115	0.036
			116/1/1	
			116/2	
			116/1/2	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सिराली प.ह.नं.— 95	119/2	0.030
			119/4	
			118	0.047
			119/1	0.034
			109/1/1/1	0.050
			109/1/1/2	0.023
			439/1/3	0.041
			439/1/1	0.018
			445/2	0.062
			443/2	0.034
			445/1	0.063
			447	0.025
			446/1	0.088
			446/2	0.003
			316/2	0.030
			317	0.055
			346	0.058
			353/1	0.005
			372/1	0.092
			373/1	
कुल योग			55	1.802

क्र.-864-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0491-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 288/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं. - 17, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लिंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	681/2	0.058
			682/1/1	0.060
			682/1/2	0.046
			682/1/3	0.040
			633 634/2	0.135

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— शिवना, प.ह.नं.— 17,	632/2/2	0.045
			632/1/2	0.082
			328/3	0.014
			329/3/6	0.050
			329/3/5	0.013
			329/3/4	0.013
			329/3/3	0.013
			329/3/1	0.032
			329/2	0.017
			336/1	0.010
			336/2	0.065
			337/1/1	0.029
			337/1/2	0.020
			338/1/1/1	0.058
			337/2	0.006
			503	0.013
			502/11	0.030
			502/10	0.040
			464/2/1	0.040
			505/1	0.007
			505/2	
			508	0.055
			511/1	0.022
			511/2	0.093
			511/3/1	0.014
			516/1	0.011
			516/2	0.032
			519/5	0.050
			519/6/1	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— शिवना, प.ह.नं.— 17,	519/7	0.052
			519/4	0.038
			518/4	0.036
			471/1/1/1/1	0.042
			467/1/3	0.130
			461/1/3	
			464/8	0.018
			464/4	0.033
			464/3	0.015
			464/2/2	0.040
			464/6	0.028
			164/1	0.123
			164/2	0.057
			164/3	0.025
			164/4	0.026
			165/1	0.056
			165/3	0.064
			166/1/1	0.055
			166/1/2	0.053
कुल योग			51	2.118

क्र.-866-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0470-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन-2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 163/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-विजलवाड़ा मार्ग को उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच मार्डनर पाईप नहर क्रमांक-85 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98	11/1/1	0.015
			12/1/1	
			11/4	0.012
			12/4	
			1/2	0.004
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98	9/1/5	0.035
			1/3	0.020
			9/1/3	0.019
			1/4	0.018
			1/5	0.012
			9/1/6	0.010
			9/1/4	0.050
			2	
			2/2	0.040
			9/1/2	0.003
			5	0.045
			4/4	0.030
			4/3	0.030
			4/2	0.029
			4/1/1	0.020
			4/1/2	0.020
			40/1	0.012
कुल योग			19	0.424

क्र.-868-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0490-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 159/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 08.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की त्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-59 एवं 182 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या, प.ह.नं.- 17/76, सानिम-02, अदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन कंबल एवं डक्ट का बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— पिपल्या, प.ह.नं.— 17 / 76,	305	0.032
			304	0.027
			303	0.048
			302	0.050
			284/7	0.054
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— पिपल्या, प.ह.नं.— 17 / 76,	285	0.009
			297	0.008
			296/5	0.058
			290/3	0.035
			293	0.084
			291	0.030
			273	0.061
			69	0.077
			70	0.081
			72	0.130
			284/1	0.041
कुल योग			16	0.825

क्र.-870-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0481-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 210/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आसडी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 एवं 132 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.सं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लिंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— गोविन्दपुरा, प.ह.नं.— 64 / 108	9/2	0.048
			9/1/4	0.023
			9/1/3	0.063
			11/2/1/1	0.021
			11/2/2/2	0.030
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— गोविन्दपुरा, प.ह.नं.— 64 / 108	14/2/1	0.005
			14/2/2/1	0.047
			14/2/3	0.069
			22/1	0.017
			22/2	0.034
			20/2/1	0.028
			20/2/2	0.031
			2/1	0.037
कुल योग			13	0.453

क्र.-872-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0500-ब-121-2022-23

प्रारूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 252/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 व 27 में जल परिवहन हेतु ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91,	6	0.004
			8/1	0.025
			8/2	0.052
			11/1/5	0.034
			11/1/4	0.033
			11/2	0.016
			11/1/3	0.034
			11/1/2	0.012
			9/1/1/1	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91,	9/7	0.065
			2/3/3/1	0.060
			159/2 160/2	0.016
			159/5 160	0.053
			159/3	0.057
			182/1/1	0.029
			182/1/2	0.045
			182/1/4	0.005
			182/1/3	0.041
			196/1	0.024
			195/1	0.050
			195/4/1	0.074
			195/5/1	0.015
			195/3/1	0.026
			192	0.015
			219/3/1 220/3/1	0.030
			219/3/2 220/3/2	0.034
			219/2/3 220/2/3	0.039
			219/4 220	0.012
			219/7	0.008
			219/5 220/5	0.037
			219/6 220/6	0.025
			211	0.010
कुल योग			32	1.023

क्र.-874-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0471-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 167/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-18 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,	32/4	0.032
			32/5	0.022
			32/6	0.022
			31/1	0.009
			31/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मछलगांव प.ह.नं.— 34/96,	31/3	0.040
			29/2	0.034
			29/1	0.046
			30/1	0.048
			183	0.026
			28/1/4	0.076
			187/5	0.030
			187/4	0.017
			187/3	0.016
			187/2	0.017
			187/1	0.046
			188/1	0.031
			196/1	0.020
			196/7	0.010
			196/5	0.036
			196/6	0.044
			196/4	0.036
			196/2	0.043
			196/3	0.011
			194/5	0.008
			194/6	0.003
			201/5	0.026
			201/4	0.020
			206/6	0.011
			206/1	0.002
			206/4	0.016
			206/2	0.020
			206/3	0.048
			207/1/1	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मछलगांव प.ह.नं.— 34/96,	207/1/2	0.004
			224	0.055
			225/4	0.038
			225/3	0.053
			225/2	0.048
			227/4	0.044
			229/3	0.035
			229/1	0.053
			229/2	0.009
			225/1	0.003
			357/4	0.011
			358/4	
			357/2	0.033
			358/2	
			357/5	0.005
			358/5	
			359/5	
			353/1	0.044
			353/2	0.024
			394/1	0.024
			394/2	0.059
			395/1	0.007
			32/3	0.040
			166	0.002
			165/1	0.022
			282/1	0.066
			281	0.024
			279/2	0.057
			277/3	0.015
			278/2	0.013
			278/1	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मछलगांव प.ह.नं.— 34/96,	331	0.004
			332/2	0.040
			332/1	0.058
			339/1	0.021
			337/1	0.020
			339/2/1	0.042
			334/2	0.018
			337/2	0.028
			338/2	0.029
			357/1 358/1 359/1	0.065
			357/3 358/3 359/3	0.021
			कुल योग	2.079
			72	2.079

क्र.-876-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0496-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 199/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 तथा ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 88 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमें से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101	488/2	0.038
			488/3	0.031
			488/4	0.037
			490	0.120
			499/2	0.023
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101	499/3	0.019
			499/1	0.046
			501/2	0.048
			517	0.083
			7	0.116
			3/3	0.120
			1/2/2	0.015
			1/3	0.019
			1/5	0.130
			1/4	0.005
कुल योग			15	0.850

क्र.-878-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0503-ब-82-2022-23

प्ररूप-घ
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 185/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,	183	0.011
			177	0.020
			143/1	0.010
			134/2/1	0.030
			135/1 137/1	0.020
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,	135/2 137/3	0.035
			135/3 137/3	0.015
			136	0.024
			134/2/2	0.042
			141	0.030
			140/1/1/1/1/2	0.030
			140/1/1/2	0.030
कुल योग			12	0.297

क्र.-880-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0488-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 280/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्तीयों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— नानकोड़ी, प.ह.नं.— 35	247/1/1	0.012
			247/1/3	0.027
			247/1/2	0.039
			247/2	0.048
			249/1	0.028
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— नानकोड़ी, प.ह.नं.— 35	249/2	0.036
			251	0.126
			252/1	0.016
			190/1/1	0.025
			255/1	0.109
			257	0.013
			259/4	0.112
			270/4/1	0.025
			270/4/2	0.003
			280/3	0.136
कुल योग			15	0.755

क्र.-884-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0493-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 278/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40	10/4/1/1/1	0.074
कुल योग			01	0.074

क्र.-886-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0495-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 270/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 84 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— पोखर, प.ह.नं.— 18,	31/1	0.025
			30	0.028
			29/3	0.028
			87	0.028
			88	0.026
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— पोखर, प.ह.नं.— 18,	89	0.032
			90/2	0.055
			90/1	0.062
			94	0.020
कुल योग			09	0.304

क्र.-888-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0479-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 165/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89	158/2	0.097
			136	0.033
			135	0.021
			10	0.048
			134	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— खारवी प.ह.नं.— 10/89	139	0.016
			140	0.018
			141	0.018
			142	0.020
			143	0.019
			144	0.033
			146	0.047
			147	0.023
			104/2	0.057
			100	0.028
			101/2	0.025
			101/4	0.030
			94	0.086
			93	0.080
			224	0.096
			228	0.022
			229	0.021
			230	0.049
			231	0.074
			11	0.025
			9	0.089
			7	0.083
			2	0.056
कुल योग			28	1.224

क्र.-890-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0504-अ-82-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 179/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-22 में जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52	46/2/2	0.060
			47/2/2	
			46/1/2	0.074
			47/1/2	
			45/2/2/1	0.035
			45/2/4/1	0.028
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52	45/2/2/2	0.033
			45/2/4/2	0.025
			45/2/3/2	0.060
			45/1/2/2	0.020
			45/1/2/1/2	0.015
कुल योग			33/1	0.060
			10	0.410

क्र.-894-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1770/भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलाई ब्रजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42,	8/1/4	0.056
			14	0.020
			15	0.038
			18/2	0.004
			86/4/2	0.042
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42,	87/2	0.057
			88/2	
			87/1	0.070
			88/1	
			84/3	0.056
			98/3	0.051
			98/4	0.046
			98/2/6	0.022
			98/2/7	0.044
			116/2	0.036
			115/1	0.076
			115/2	0.026
कुल योग			15	0.644

क्र.-896-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0478-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 197/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-80 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । .

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98,	159/1/1	0.035
			159/2/1	
			159/1/2	0.020
			159/1/2	
			159/1/3	0.016
			159/2/3	
			159/1/5	0.017
			159/2/5	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36 / 98,	159/3/1	0.039
			159/3/2	0.033
			159/4	0.018
			160/3	0.061
			160/1/2	0.012
			184/2/2	
			160/2	0.022
			185/2/1	0.014
			184/6	0.019
			185/1/1	0.028
			185/1/2	0.020
			184/5	0.008
			184/7	0.019
			182/5/1	0.044
			182/3	0.050
			203	0.085
			204/1/1	0.029
			204/2	0.040
			222/1/1	0.025
			222/1/2	0.030
			222/4	0.016
			222/2	0.047
			225	0.002
			224	0.020
			226	
			227	
			228	0.011
229/2	0.011			
334/3	0.026			
336/3				
334/2	0.010			
कुल योग			31	0.827

क्र.-900-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0502-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 276/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40,	154/1/4	0.062
			152/2	0.040
			153/3	0.040
			153/4	0.030
			153/5	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— बलखड़, प.ह.नं.— 40,	153/6	0.016
			153/7	0.010
			157/1/2	0.050
			157/1/1	0.045
			166	0.080
			165/1	0.104
			178/1/3	0.073
			178/2	0.045
			178/3	0.045
			177	0.023
			179/1/1	0.010
			179/1/2	0.060
			183/194	0.041
			179/1/6	0.051
			179/3	0.049
			193/2/2	0.030
180/4/1				
180/2				
कुल योग			21	0.934

क्र.-902-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0494-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 284/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 66 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना वस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्तीयों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,	12	0.018
			490/12	0.004
			11	0.034
			17/1	0.054
			17/2	0.046
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,	41/2	0.080
			41/7	0.075
			43/2	0.034
			367/1	0.015
			367/3	0.015
			367/2	0.014
			368/1	0.018
			368/2	0.012
			369	0.030
			370/1	0.038
			370/2	0.020
			372/1	0.019
कुल योग			17	0.526

क्र.-904-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0492-ब-121-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 282/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा भाईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं. - 17, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	529/3 531/3	0.147
			529/2/2 531/2/2	0.021
			529/2/3 531/2/3	0.074
			528/3/3	0.017
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	528/4	0.067
			565/2/1	0.053
			528/5	0.065
			528/1	0.005
			565/1	0.012
			567/1/1/5	0.082
			567/1/1/4	0.030
कुल योग			11	0.573

क्र.-906-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0482-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 214/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-10, 31 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,	52/1	0.050
			52/2	0.011
			60/1	0.020
			60/2	0.020
			58	0.013
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,	59	0.010
			70/3	0.018
			69/3	0.007
			69/4	0.052
			23/3/9	0.032
			23/2	0.028
			23/3/7	0.035
			23/3/6	0.007
			28	0.041
			30/1	0.074
			24/5/2	0.024
			24/5/1	0.032
			11/4	0.042
			10/2	0.016
कुल योग			19	0.532

क्र.-910-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0473-ब-121-2022-23

प्ररूप-"घ"
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 207/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रम्य हाऊस क्रमांक-03 एवं 04 की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— औरंगपुरा प.ह.नं.— 17 / 76,	6	0.040
			2/7	0.020
			2/6	0.086
			1/6/1	0.102
			1/3/2	0.138
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— औरंगपुरा प.ह.नं.— 17 / 76,	1/5	0.002
			1/7	0.002
			1/9	0.036
			1/8	0.040
			1/10	0.041
			1/4/2	0.035
			192/3	0.019
कुल योग			12	0.561

क्र.-913-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0469-ब-121-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 216/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96,	64/4	0.088
			73	0.018
			74/1	0.043
			77/1	0.005
			71/1	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— एकतासा प.ह.नं.— 96,	71/2	0.036
			70/3	0.028
			70/4	0.029
			87/1	0.009
			87/2	0.050
			85	0.021
			86/5	0.030
			86/1	0.009
			86/3	0.037
			86/4	0.002
			281	0.018
			303	0.047
			305	0.056
			307/1/3	0.026
			307/2	0.046
			352/2	0.084
			349	0.028
			356/2	0.010
			356/3	0.028
			356/4	0.012
			356/5/1	0.038
			356/6	0.009
			356/7	0.014
			346/1	0.023
			346/2	0.029
			343/1	0.024
			346/3	0.010
			345/2	0.015
			342/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— एकतासा प.ह.नं.— 96,	342/2	0.030
			340/2	0.024
			340/1/2	0.051
			356/8	0.003
			340/1/1	0.023
			333/1	0.024
			333/3	0.028
			332/1	0.014
			430/1/2	0.035
			430/4	0.049
			430/3/1	0.020
			430/3/2	0.026
			430/3/3	0.018
			430/3/4	0.018
			430/1/1	0.004
कुल योग			49	1.331

क्र.-943-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2022-23

प्रारूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1774 /भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खरगोी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोर्गी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मालखेड़ा, प.ह.नं.— 96,	70/3	0.030
			71/2	0.020
			72	0.017
			73/1	0.021
			73/2	0.022
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मालखेड़ा, प.ह.नं.— 96,	73/3	0.026
			74/1	0.023
			74/2	0.002
			85/1	0.012
			85/3	0.008
			85/4	0.025
			86/1	0.050
			86/3	0.062
			86/2	0.063
			87/2	0.023
			87/3	0.038
			111/1	0.064
			111/2	0.018
			111/3	0.031
कुल योग			19	0.555

क्र.-915-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0472-ब-121-2022-23

प्ररूप-घ
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 232/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-31 व 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102,	126/5	0.026
			126/4	0.010
			126/3	0.002
			127/2/2	0.032
			127/1/3	0.037

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— लालखेड़ा प.ह.नं.— 40 / 102,	127/1/2	0.039
			127/1/1/1	0.030
			127/1/1/2	0.080
			122/1/4	0.032
			121/1	0.008
			121/2	0.055
			120/2	0.007
			112/2	0.046
			113/2	0.063
			96	0.078
			97/2/1/3	0.016
			97/2/1/4	0.045
			4/2	0.009
			112/1	0.014
कुल योग			19	0.629

क्र.-942-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 22 मार्च 2023

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1776 /भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-187 व 189 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,	176/2 Y	0.070
			30/4	0.158
			30/3/3	0.036
			30/3/2	0.040
			30/3/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मुहाली प.ह.नं.— 75,	133/2	0.002
			133/7	0.013
			133/3	0.022
			133/6	0.022
			133/4	0.022
			133/5	0.024
			136	0.018
			138/2	0.005
			139/2	0.008
			139/4	0.013
			139/3	0.055
			139/5	0.015
			145/1	0.068
			145/2	
			146/1	0.040
146/2				
कुल योग			19	0.633

क्र.-945-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0497-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 23 मार्च 2023

प्ररूप-घ
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 268/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-66 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लिंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95,	17/2	0.026
			17/3	0.026
			16	0.039
			19/2	0.032
			20/2/1	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— पुनासला, प.ह.नं.— 19/95,	20/1/3	0.039
			392/1	0.085
			392/2	0.020
			393/1	0.029
			396/1/2	0.043
			397/1/3	0.025
			407/1/1	0.034
			407/1/2	0.028
			413/2/2	0.025
			489	0.074
			499	0.034
			407/1/3	0.006
			413/2/1	0.031
			397/3	0.049
			397/1/2	0.041
			413/1/1/2	0.042
कुल योग			21	0.740

क्र.-1150-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0487-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 14 मार्च 2023

प्ररूप-घ
(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 205/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-67 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, कैबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,	337	0.047
			338/1/1	0.005
			339	0.037
			340	0.042
			341	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— अंजनगांव प.ह.नं.— 17/76,	446	0.017
			344	0.280
			353	0.033
			351	0.018
			355	0.008
			354/2	0.042
			359	0.023
			356	0.019
			357	0.013
			358	0.019
			361	0.047
			411	0.016
			412	0.020
			413/1	0.017
			414/1	0.055
			421	0.018
			425	0.046
			426	0.055
			427	0.044
			428	0.047
			452	0.237
कुल योग			26	1.229

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश,

राजगढ़, दिनांक 10 मार्च 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शौचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शौचालय आदि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकान, शौचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकान एवं शौचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.म)	अर्जित भूमि (हे.म)
1	2	3	4	5
1	समनारायण पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/5/1	1.149	0.336
	योग :-	1	1.149	0.336
2	मोहनलाल पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/5/2	1.380	0.346
	योग :-	1	1.380	0.346
3	नरबदीबाई पत्नी परतापसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/4/2/2	0.619	0.370
	योग :-	1	0.619	0.370
4	रामबाबू प्रेमसिंह मोलाराम सुशीलाबाई पिता भवरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/12/1	1.012	0.442
	योग :-	1	1.012	0.442
5	रामसिंह पिता बिहारीलाल जाति मट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/12/2	0.758	0.158
	योग :-	1	0.758	0.158

6	कमलसिंह पिता भूराजी जाति गुरजर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/12/3	0.759	0.759
	योग —	1	0.759	0.759
7	अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	2/15/2	0.253	0.253
	योग —	1	0.253	0.253
8	रामसिंह पुत्र धीसीबाई जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	3/3	0.076	0.056
	योग —	1	0.076	0.056
	महायोग —		6.006	2.720

(2) मकान/परिसम्पत्ति :-				
सं.क्र.	नाम	मकान का प्रकार	रकबा (वर्ग मीटर)	रिपार्क
1	2	3	4	5
1	पर्वतसिंह पिता रामनारायण	टीन शेड	16.65	
2	सीमाबाई पति पर्वतसिंह	इट्ट की दीवार	55.00	एल.डी.पी.ई
3	धर्मन पिता भगमल	इट्ट की दीवार	32.20	एल.डी.पी.ई
4	जगदीश पिता चन्नीलाल	इट्ट की दीवार	49.72	एल.डी.पी.ई
5	कैलाश पिता चन्नीलाल	पक्का चबूतरा	7.84	
6	ममताबाई पति हेमराज	पक्का छत्री	6.60	
7	नारायणसिंह पिता छोटेबाल	पक्का चबूतरा	10.89	
8	राधेश्याम पिता आत्माराम	पक्का चबूतरा	7.84	
9	कमलसिंह पिता रामप्रसाद	ग्रायोग्रेस संयंत्र		4 घन मीटर
10	रामनारायण पिता कुन्नीलाल	ग्रायोग्रेस संयंत्र		4 घन मीटर
11	कालुसम पिता काशीराम	वाटर टैंक	0.98	
	योग :-		187.72	

(3) शोचालय :-				
सं.क्र.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5
1	रामजीलाल पिता नारायणसिंह	1.70	1.30	2.21
2	सोनू पिता बट्टीलाल	1.50	1.50	2.25
3	राजू पिता कैलाश	1.50	1.50	2.25
4	बबलू पिता चन्नीलाल	1.50	1.50	2.25
5	गोकुल पिता चन्नीलाल	1.50	1.50	2.25
6	पर्वतसिंह पिता रामनारायण	4.50	1.30	9.85

7	बृजमोहन पिता गोपीलाल	1.30	1.30	1.69
8	लखनलाल पिता गोपीलाल	1.50	1.50	2.25
9	आम्रप्रकाश पिता रामदयालसिंह	1.30	2.00	2.60
10	अमरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	1.50	1.20	1.80
11	राधाबाई पति देवकरण	2.00	2.30	4.60
12	लाडसिंह पिता देवीलाल	1.50	1.50	2.25
13	गोरीलाल पिता रामरतन	4.10	3.80	15.58
14	रामसिंह माता घीसीबाई	1.70	0.90	1.53
योग :-				49.360

(4) फलदार पेड़ पोषे :-				
स.क.	नाम	सर्वे क्रमबद्ध	फलदार पेड़	संख्या
1	अजबसिंह पिता आल्मराम जाति नट	126/1/2/4	संतरा	55
			सीताफल	90
2	देवकरण पिता किशनलाल जाति नट	7/1/1/2	संतरा	65
3	रामसिंह माता घीसीबाई जाति नट	126/1/4	मोसंबी	70
			जामफल	30
4	शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नट	7/1/1/1	संतरा	65

भूमि, मकान एवं शौचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश,
शासन राजस्व विभाग**

क्र.-2267-भू-अर्जन-23

राजगढ़, दिनांक 10 मार्च 2023

-: अनुसूची :-

क्रमांक/04/23/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम चारपुरा		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.177	-	0.177

अनुसूची(2)

स. क्र.	भस्वामी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	रोडसिंह, गोपाल, कमला बाई पिता नल्हा, सम्पत बाई बेवा नल्हा जाति काछी	47/1	2.140	0.033	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	पर्वतसिंह खेमचन्द्र, सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी	48/2	2.051	0.144	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
	कुल किता -2	2	4.191	0.177	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

सीहोर, दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक 13/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है।

-: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/हिंमोनी	भूमि - 6.096 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	गीताप्रसाद पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/5	0.235	0.050	
2	प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति सुतार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	60/2/1	0.861	0.200	
3	भंवरीबाई बेवा ब्रहमाजी कमतलसिंह रामकिशन विष्णुप्रसाद मोहनसिंह आ ब्रहमाजी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	98/2	2.63	0.210	
4	प्रीयासिंह तोमर पत्नी रविसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश	57/5/1	0.541	0.130	
		57/13	1.234	0.370	
5	अंसद इफतेखार पिता इफतेखार एहमद डायरेक्टर भोपाल गुलुज एण्ड केमि प्रा लि जाति मुस्लिम पता निवासी 189 जिंसी भोपाल मध्यप्रदेश	98/7	1.214	0.440	
6	डायरेक्टर असद उफतेखार पिता उफतेखार अहमद मेसर्स भोपाल गुलुज एण्ड केमिकज प्रा लि जाति मुसलमान पता निवासी जहांगीरगड भोपाल सीहोर मध्यप्रदेश	13/2	1.064	0.200	
		100/4	1.056	1.056	
		100/15/1	0.623	0.370	
7	देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/5/1	0.674	0.240	

8	छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/10	1.016	0.120	
9	श्रीमती प्रियंका तोमर पत्नी रामसिंह तोमर जाति तोमर पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/9	0.809	0.130	
10	युसुफ असद पिता असद इस्तेखार जाति मुस्लिम पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	28/3 31/3	1.223	0.270	
11	रंगलाल पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/3	0.234	0.050	
12	रवीसिंह तोमर पिता छोटेसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/2/1	1.237	0.080	
13	भगवानसिंह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	98/5	2.023	0.280	
14	श्यामलाल पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/3	1.011	0.600	
15	मोतीलाल पिता मन्लाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	60/5/1	0.521	0.060	
16	देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/9/1	1.137	0.080	
17	रामगोपाल उर्फ गप्पा पिता खेमचन्द्र जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/7	1.214	0.090	
18	श्यामलाल, भागीरथ, हेमराज, फूलसिंह पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/6	1.214	0.560	
19	परवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2, भगवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	100/8	1.214	0.140	
20	परसराम पिता मूलचंद जाति चमार नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	60/14	1.833	0.300	
21	प्रेमलता पुत्री नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	100/10/2	0.571	0.070	
कुल योग :-		24	25.389	6.096	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्रमांक 14/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/बरी	भूमि - 3.994 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

—: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हैं.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/98/1/1	2.217	0.040	
2	बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5/2	1.618	0.030	
		6/3/1	0.509	0.080	
3	सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/5/1	1.554	0.040	
4	इमरतबाई पत्नी नारायणसिंह जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/3/1	1.614	0.101	
5	सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	290/98/2/1	0.682	0.040	
6	ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	19/1/2	0.162	0.120	

7	भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3, मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर हि. 1/3, विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	11/2/1	1.106	0.355	
8	रामस्वरूप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	21/1	0.534	0.050	
		20/1	1.307	0.180	
9	परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	29/2/1	0.668	0.180	
10	योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	6/4/1	0.878	0.030	
		6/2/1	0.122	0.020	
11	हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	11/1/1	0.587	0.175	
12	राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/2/1/1	2.849	0.160	
13	राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/11	0.781	0.135	
14	पुरुषोत्तम पिता रुग्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	17/3/1	0.641	0.045	
15	ओमप्रकाश पिता रुग्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	17/2/1	0.549	0.329	
16	संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/8	0.809	0.020	
17	भारतसिंह पिता रामचंद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/4	1.100	0.245	
18	कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/6	1.145	0.340	
19	मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/2/5/2	0.277	0.045	
20	विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/9	1.073	0.101	
21	रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/98/3	1.214	0.210	
22	पंकज पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/12	1.073	0.085	
23	सरजनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	4.088	0.788	
24	भवरीबाई बेवा परसराम श्रीकिशन शारदाबाई पुत्र / पुत्री परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/1/1	1.368	0.050	
कुल योग :-		27	30.525	3.994	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरान्त धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर, उज्जैन

क्र.-680-री-1-2023

उज्जैन, दिनांक 16 मार्च 2023

प्रारूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्रमांक 01/अ-82/एन.एच./2022-23 अतएव राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1) हेतु ग्राम उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 08, सनावद, जिला खरगौन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ. यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित / असिंचित
01.	सूर्यशङ्कराकान प्रायवेट लिमिटेड, उज्जैन द्वारा डायरेक्टर नीरज जैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन	3296 / 1 (S)	0.5330	0.2280	0.0255	सिंचित
02.	अंशुल कुमार पिता सुशील जैन	3297 / 1 (S)	0.8780	0.2860	0.0320	सिंचित
03	विनयक बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश पिता मनोहर राव, सत्यनारायण माली पिता बालमुकुंद माली	3293 / 1 / 3 (S)	1.0250	0.1480	0.0166	सिंचित
04	विष्णुलाल, नागूलाल, शिवनारायण, गोवर्धन, मोतीलाल, परमानंद, चंदर बाई पिता मूलचंद	3306 / 1 (S)	7.0380	0.3540	0.0396	सिंचित
05	भरत पिता करमशीभाई प्रभोदा बेन, पति भरत कुमार, नीरा शाह पति आशीष शाह	3307 / 2 / 1 (S)	0.1060	0.0570	0.0064	सिंचित
06	गोविन्द पिता पन्नालाल, हि. 1/6, संजय पिता चम्पालाल, इंदर बाई, चंदा बाई, पार्वती बाई, मंजू बाई, कोमल पुत्रिया चम्पालाल, भागवता बाई बेवा चम्पालाल हि. 1/6, हुकुमचंद पिता पन्नालाल, /6 रमेश पिता पन्नालाल, 1/6 बसंतीबाई बेवा पन्नालाल	3308 / 2 (S)	1.2540	0.4570	0.0512	सिंचित
07	मोहनलाल पिता रामरत्न	3324 / 1 (S)	1.6200	0.1230	0.0141	सिंचित
08	मेसर्स. गौतम इन्फ्रा सुशील जैन पिता बसंतीलाल, मुकेश राका पिता हीरालाल जी	3324 / 2 (S)	3.1360	0.4340	0.0486	सिंचित
09	कैलाश नारायण, कौशल किशोर पिता हिरालाल	3326 / 1 / 4 (S)	0.0390	0.0370	0.0041	सिंचित
10	जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर	3334 / 1 (S)	1.1080	0.1490	0.0167	सिंचित
11	जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर	3335 (S)	0.5230	0.2510	0.0281	सिंचित
12	शासकीय	3337 (S)	0.2300	0.0680	0.0076	सिंचित
13	रमेशचंद्र पिता वेणीराम	3338 (S)	1.0140	0.2290	0.0226	सिंचित
14	रमेशचंद्र पिता वेणीराम	3228 (S)	0.1880	0.1030	0.0115	सिंचित
15	रमेशचंद्र पिता वेणीराम	3226 (S)	0.9930	0.1710	0.0192	सिंचित
16	शासकीय	3328, 3329, 3330	8.0270	0.4220	0.0473	सिंचित
	कुल		28.712	3.520	0.3911	सिंचित

कल्याणी पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोठी महल, उज्जैन

क्र.-1135-री-1-2023

उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023

प्रारूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्रमांक 0004/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा(1) हेतु ग्राम गोठडा जिला उज्जैन (म.प्र) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोठीमहल जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

::अनुसूची::

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का नंबर	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4		5
1	ग्राम गोठडा प.ह.न. 02	विजय सिंह पिता रामेश्वर आजना	87/3/1	0.570	0.060
2		अंबताबाई पति भेरूलाल हरिराम, हाकमसिंह आजना, रणछोड रामचंद्र पिता भेरूलाल	33/1/2 34/1/2	0.570	0.1500
3		मोहनबाई पति जयसिंह	33/3/1	0.209	0.1125
4		आशाराम पिता रघुनाथ	33/2/3	0.262	0.060
5		भाविक पिता महेश परियानी	33/3/1	0.523	0.060
	TOTAL				0.4425

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्रमांक एफ-01-12/2020/सात-7 ---- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला मुरैना की वर्तमान तहसील अम्बाह एवं वर्तमान तहसील पोरसा की सीमा परिवर्तित करते हुए निम्न तालिका अनुसार तहसील पोरसा तथा तहसील अम्बाह की सीमाएं परिभाषित करती हैं:-

तालिका

अनुक्रमांक	तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	तहसील से अपवर्जित क्षेत्र	तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्र
1.	तहसील पोरसा मुख्यालय पोरसा	तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1-बरबाई, 2-रतनबसई, 3-रुअर, 4-अझेड़ा, 5-अधन्नपुर, 6-बीजलीपुरा, 7-अमिल्लेड़ा, 8-हिंगावली, 9-श्यामपुरकलां, 10-कसमड़ा, 11-रछेड़, 12-लुधावली, 13-उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 अपवर्जित।	तहसील पोरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 लगायत 54 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43-भोनपुरा, 45-कुकथरी, 46-सींगपुरा, 47-किरायच, 48-तरैनी, 49-धनसुला, 51-इकहारा, 52-मानपुर, 53-कोलुआ, 54-भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56-सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 इस प्रकार कुल 52 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
2.	तहसील अम्बाह मुख्यालय अम्बाह	तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43-भोनपुरा, 45-कुकथरी, 46-सींगपुरा, 47-किरायच, 48-तरैनी, 49-धनसुला, 51-इकहारा, 52-मानपुर, 53-कोलुआ, 54-भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56-सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 एवं कुल राजस्व ग्राम 17 अपवर्जित।	तहसील अम्बाह के अपवर्जन के पश्चात शेष पटवारी हल्का क्रमांक-1 लगायत 42, 44 एवं 50 तक कुल 44 पटवारी हल्के एवं तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1-बरबाई, 2-रतनबसई, 3-रुअर, 4-अझेड़ा, 5-अधन्नपुर, 6-बीजलीपुरा, 7-अमिल्लेड़ा, 8-हिंगावली, 9-श्यामपुरकलां, 10-कसमड़ा, 11-रछेड़, 12-लुधावली, 13-उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 इस प्रकार 58 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्र. D-507-एक-7-3-2022 (भाग-एक).—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के विविध आदेश क्रमांक 38-एस.डब्ल्यू.-अवकाश-2022-धार, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, धार मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय धार/तहसील सिविल न्यायालय धरमपुरी, तहसील सिविल न्यायालय कुक्षी, तहसील सिविल न्यायालय सरदारपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय मनावर के लिए नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) दिनांक 20 जनवरी 2023 (शुक्रवार) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किए जाने के एवज में उपरोक्त जिला एवं तहसील सिविल न्यायालयों में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्र. D-775-एक-7-3-2022-(भाग-एक).—राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए-4818-एक-7-3-2022-भाग -1 जबलपुर दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार दिनांक 25 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2023

क्र. D-804-एक-7-3-2022-(भाग-एक).—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के विविध आदेश क्रमांक 01-दो-22-01-86 गुना, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना के लिये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) दिनांक 20 जनवरी 2023 (शुक्रवार) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किये जाने के एवज में सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 का कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्र. A-126-दो-3-66-2007.—श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्र. B-1161-दो-2-54-2022.—श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

क्र. A-188-दो-2-36-2020.—श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान, न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-786-दो-2-37-2020.—श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-788-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-790-दो-2-51-2015.—श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2023

क्र. B-794-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-796-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-798-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 27 से 28 जनवरी 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-800-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-802-दो-2-55-2017.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-804-दो-2-57-2021.—श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 18 जनवरी 2023 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-813-दो-2-64-2014.—श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-199-दो-2-2-2022.—श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-201-दो-2-39-2021.—श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-203-दो-2-39-2021.—श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 जनवरी 2023 तक, एक वर्ष 3 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-206-दो-2-35-2020.—श्री पी. एस. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2023 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 20 जनवरी 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-821-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2023 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-811-दो-2-56-2021.—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र.-अवकाश-259.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2022 तक बारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया

जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 6 नवम्बर 2022 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते।

क्र.-अवकाश-261.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते।

क्र.-अवकाश-263.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 30 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2022 तक उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते।

इन्दौर, दिनांक 14 फरवरी 2023

क्र.-अवकाश-304.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक तीन दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. व्ही. आर. बालाजी समी, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम).